Che Gazette o

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ぜ・ 1]

न इं दिल्ली, शनिवार, जनबरी 6, 1973 (पौष 16, 1894)...

No 1]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 1973 (PAUSA 16, 1894)

इस भाग में मिश्न पुष्ठ संस्था दी जाती 🖁 जिसस 🖘 यह अलग सकलन क क्रव में रच्चा का सक Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस NOTICE

मीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 16 सितम्बर 1970 तक प्रकाशिश किये गये हें

The undermentioned Gazette's of India Extraordinary were published up to the 16th September 1970;

मंक

संख्या और तिथि

द्वारा जारी किया गया

विषय

(Issue No.)

(No. and Date)

(Issued by)

(Subject)

Nil

क्रपः लिख असाधारण राजपत्रो का प्रतिया, प्रकाशन प्रवश्यक, सिथिल लाइन्स, विस्लो क नाम माग-पत्र स्रजन पर भज दी जाएछी। मौगा-पत्र प्रसन्धक के पास इस राजपत्रों के कारी होने की तिथि से वस दिस के मीतर पहुंच आमे धाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग ।--खण्ड 2

PART I--SECTION 2

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुम्तियों, परोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसुचनाएं

Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

उप-राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० 3/2/72-प्रशासन---राष्ट्रपति जी, इस कार्यालय के ज्ञापन नं०-3/2/72-प्रशासन दिनांक 13 नवम्बर, 1972 के अनुक्रम में श्री आर० पी० गुप्ता, उप राष्ट्रपति के अस्थाई द्वितीय निजी सहायक को, श्री जी० एल० कपूर के स्थान पर जिन्हें दिनांक 17 दिसम्बर, 1972 से 27 दिसम्बर, 1972 तक और अजित अवकाश स्वीकृत किया गया है, स्थानापन्न प्रथम निजी सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

> हरबंस लाल नारंग **बी० फडके, उप राष्ट्रपति के सचिव**

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1972

सं० आर० एस०/484/ई० एस० टी०टी०-पी०-इस सचिवालय में स्थायी रिपोर्टर श्री टी० आर० श्रीनिवासन् को 9 दिसम्बर, 1972 से 7 अप्रैल, 1973 तक 120 दिन की सेवा निवृत्ति-पूर्व अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है।

एम० कामेश्वर राव, अवर सचिव

मंत्रिमण्डल संचिवालय सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1972

सं १ ए०-12022/4/70-स्थापना 11----राष्ट्रपित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड III अधिकारी और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली के उप निदेशक श्री डी० पी० राय को उसी संगठन में 8 दिसम्बर 1972 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न विशेष-काय-अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. श्री डी० पी० राय की नियुक्ति कार्मिक विभाग के अनुमोदन पर की गई है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए संवर्ग नियंवक प्राधिकारी है।

के० सी० गेहानी, अवर सचिव

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 1972

सं० 4/113/72-सीं० एस०-1—केन्द्रीय सिववालय सेवा के ग्रेड-1 के स्थायी अधिकारी श्री एस० के० सानियाल जो उस सेवा के चयन ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त थे और शिक्षा विभाग में उप सिवव के पद पर कार्य कर रह थे, को राष्ट्र-पित सहर्ष 5 नवम्बर, 1972 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० 4/114/72-सी० एस०-1—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सैल्यकशन ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री ए० बी० रामा-चन्द्रन जो रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, को राष्ट्रपति सहर्ष 5 दिसम्बर, 1972 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमृति प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 दिसम्बर 1972

सं० 4/40/72-सी० एस०(1)—केन्द्रीय सिववालय सेवा के ग्रेंड-1 के स्थायी अधिकारी श्री के० सी० सोदिया (जो कि विस्त मंत्रालय के हैं) को राष्ट्रपति सहर्ष उस सेवा के सैत्यकशन ग्रेंड (आर्थिक विभाग) में 10 अक्तूबर, 1972 के पूर्वाह्न से अन्य आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सं० 4/100/72-सी० एस० 1—केन्द्रीय सिचवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एन० ए० सुग्रमाने जो कि (खान विभाग के काडर के हैं) को राष्ट्रपति सहर्ष उस सेवा के ग्रेड I में 2 नवम्बर, 1972 (पूर्वाह्र) से अन्य आदेश पयन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4/100/72-सी० एस० 1 दिनांक 29-11-72 एतदृद्वारा रह की जाती है।

सं० 4/59/72-सी० एस० 1—केन्द्रीय सिववालय सेवा के ग्रेड-1 के स्थायी अधिकारी श्री पी० जी० सालवी जो उस सेवा के ग्रेड 1(एक) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त थे और जो विदेश ज्यापार मंत्रालय में अवर सिवव के पद पर कार्य कर रहे थे, को राष्ट्रपति सहर्ष 29 सितम्बर, 1972 (पूर्वाह्न) से मूल

नियम 56(के०) अनुसार सरकारी सेवा से निवृत्त होने भिक्की अनुमति प्रदान करते हैं।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० 15/28/72-स्थापना (ड०)—भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 के नियम 8(क)(1) के अधीन राष्ट्रपति श्री सुखराम सिंह गिल को जो कि नियुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त 1 अल्प कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की ग्रेड 4 में नियुक्त के लिये जनवरी 1972 में हुई भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में पास हुए थे, भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड 4 में 13 नवम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एल० मथ्रिया, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० 12/38/71-आ० भा० से०(1)—भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के विनियम 9 के उप विनियम(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, हरियाणा राज्य सिविल सेवा अधिकारी सर्वश्री कुलवन्त सिंह और राजेन्द्र सिंह की नियुक्त भारतीय प्रशासन सेवा में परिचीक्षा पर करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उपनियम(1) के अधीन हरियाणा संवर्ग में आंबटित करते हैं।

एस० हबीबुल्लाह, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 1972

सं० 16/24/72-अ० भा० से०(1)—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात सरकारों की सहमति से एतद्द्वारा—

- (1) गुजरात संवर्ग में प्ररूढ़, भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य श्री एस० एन० शुक्ल की उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सेवा के लिये 12 दिसम्बर, 1972 से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक, प्रतिनियुक्ति के संबंध में कार्योपरांत अनुमोदन,
- (2) इस अधिसूचना के जारी होने तकी तारीख से 11 दिसम्बर, 1973 तक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सेवा के लिये, श्री एस० एन० शुक्ल की निरन्तर प्रतिनियुक्ति के संबंध में अनुमोदन, प्रदान करती है।

राष्ट्रपति के नाम से आ**देश** एस० हबीबुल्लाह, अवर स**चिव** नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० एफ० 32/95/72-प्रशिक्षण——राष्ट्रपति, श्री सी० गुरुम्तीं को 21 दिसम्बर, 1972 से 26 जनवरी 1974 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में विधि के आचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

ेशान्ता राव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 दिसम्बर 1972

संव 11/1/72-अव भाव सेव(3)—भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षान) नियम 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पश्चिम बगाल राज्य के संवर्ग में आवंटित भारतीय प्रशासन सेवा के श्री एसव एनव राय को 15 नवम्बर, 1972 से उस सेवा में स्थायी करते हैं।

एम० आर० भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली-1100011, दिनांक 20 दिसम्बर 1972

सं० 402/26/72-ए० बी० डी०-4--भारतीय सीमाणुल्क और केन्द्रीय उत्पाद गुल्क सेवा के अधिकारी श्री वाई० आर० सचदेव को, जो अभी हाल ही में दिल्ली-सीमा- गुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्ट्रेट में सहायक-कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, के पद पर कार्य कर रहे थे, राष्ट्रपति, 6 दिसम्बर, 1972 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक राजस्व आसूचना निदेशालय नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में सहायक कलक्टर के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

के० एल० रामचन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 दिसम्बर 1972

सं० 20/जी०/182-प्रणा० 1—-राष्ट्रपति, श्री के० रघुनाथन (एम० एल० एण्ड सी० एस०) को 11 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक कार्मिक विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० एस० गुप्ता, अवर सचिव

(इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० 2(49)/72-प्र०—-राष्ट्रपति, डा० एस० जी० पाटिल को इलैक्ट्रानिक्स विभाग के इलैक्ट्रानिक्स कभीशन बम्बई में दिनांक 16 नवम्बर, 1972 (अपराह्न) से, 5 वर्ष के लिए ठैके पर अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहिले हो, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० बी० भायर, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1972

सं० ए० 12025/2/71-प्र०-1—योजना आयोग के दिनाक 4 जनवरी, 1972 की अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी श्री जे० एन० तिवारी की योजना आयोग में प्रभाग-प्रमुख के रूप में स्थायी नियुक्ति के अपराह्म से और छः महीने के लिए बढ़ाते हैं।

जी० एन० गुप्ता, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1972

सं० एफ० 6(653)/72-प्रशा०-1—भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-2 के अधिकारी तथा योजना आयोग में संयुक्त निदेशक श्री एस० सी० घोष की 23 नवम्बर, 1972 को छुट्टी के दौरान मृत्यु हो गई।

दिनांक 12 दिसम्बर 1972

सं० ए०-12025/40/72-प्रशासन-1---राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के स्थानापन्न ग्रेड-3 के अधिकारी तथा योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री जयचन्द्रन को उनकी भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-2 में नियुक्ति होने की तिथि दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 से अगले आदेशों तक योजना आयोग में अस्थायी तौर पर संयुक्त-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 14 दिसम्बर 1972

सं० एफ० 6(224)/2/y०-2—केन्द्रीय सिचवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-1 के अधिकारी श्री ए० एम० के० स्वामि जो कि इस सेवा के सलैक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे तथा योजना आयोग में भारत सरकार के उपसिचव के पद पर थे, दिनांक 8-12-72 के अपराह्म से योजना आयोग में अवर सिचव के पद पर प्रत्यावित्त हो गए।

दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० एफ० 14(13)/68-सी० एम०—-राष्ट्रपति, योजना आयोग संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी सहायक श्री ए० बी० चटर्जी को अस्थाई तौर पर 4 दिसम्बर 1972 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक योजना आयोग संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सं० एफ० 14(13)/68-सी० एम०---राष्ट्रपति, योजना आयोग संवर्ग में केन्द्रीय सिववालय सेवा के ग्रेड-4 के स्थाई अधिकारी श्री जी० एस० भटनागर, को अस्थाई तौर पर पहली दिसम्बर 1972 की पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक योजना आयोग संवर्ग में केन्द्रीय सिववालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

नरेन्द्र कुमार अग्रवाल , अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1972

सं० फा० 45(87)/68-प्र०-1 (वि० वि०)—विधि मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सिचवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी, उस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न और विधि मंत्रालय, विधायी विभाग में अवर सिचव के रूप में कार्यरत श्री पी० वी० पशुपति को 7 और 8 नवम्बर 1972 को दो दिन का अजित अवकाश प्रदान किया जाता है । यह प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश की समाप्ति पर श्री पशुपति के उसी स्थान एवं पद पर लौटने की आशा की गई थी, जहां से वह छुट्टी पर गए थे।

- 2. राष्ट्रपति अपने प्रसाद से विधि मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सिववालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेंड के स्थायी अधिकारी श्री पी० वी० पशुपति को 9 नवम्बर, 1972 से 31 दिसम्बर 1972 तक (दोनों दिन मिलाकर) उस सेवा के ग्रेड-I में स्थान।पन्न नियक्त करते हैं।
- 3. राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री पी० बी० पशुपति को विधि मंत्रात्रप, विधायी विभाग में उक्त अवधि के लिए अवर सचिव के पद पर नियुक्त भी करते हैं।

सं० क०-32013/5/71-प्र०-1 (वि० वि०)—विधि मंतालय संवर्ग में केन्द्रीय सिववालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी उस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न और विधि और न्याय मंतालय, विधायी विभाग में अवर सिवव के रूप में कार्यरत श्री एच० सी० वरमानी को 7 और 8 नवम्बर 1972 को दो दिन का अजित अवकाश प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है। के अवकाश की समाप्ति पर श्री वरमानी के उसी स्थान एवं पद पर लौटने की आशा की गई थी, जहां से वह छट्टी पर गए थे।

- 2. राष्ट्रपति अपने प्रसाद से विधि महालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेंड के स्थायी अधिकारी श्री एचं सी वरमानी को 9 नवम्बर 1972 से 31 दिसम्बर 1972 तक (दोनों दिन मिलाकर) उस सेवा के ग्रेंड-I में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं।
- 3. राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री वरमानी को उक्त अविध के लिए विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त भी करते हैं।

ई० वैंकटेशवरन, उप-सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1972

सं० 17/4/72-त्याय—संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सोहन नाथ मोदी को अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सहबं नियुक्त करते हैं।

के० त्यागराजन, उप-सर्चिष

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1972

सं० ए०-31014/2/72-विशेष सैल—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिषवालय सेवा की श्रेणी-IV के स्थायी अधिकारी और उस सेवा की अनुभाग अधिकारी श्रेणी में स्थानापन्न श्री किशन लाल को 7 अक्तूबर 1972 से विधि और न्याय मंत्रालय के काडर में केन्द्रीय सिचवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी श्रेणी में अधिष्ठायी रूप से निय्कत करते हैं।

एन० डी सिन्हा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 1972

सं० 16/82/72-पर्सनल-2--भा० पु० से० (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) का अनुसरण करने हुए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार के परामर्श से राजस्थान के भा० पु० से० संवर्ग के संख्या-अल और गठन में संशोधन किया है और एतद्द्रारा निर्देश देती है कि भा० पु० से० (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में राजस्थान संवर्ग प्रविष्टियों के बारे में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा---

- (1) यह संशोधन भारत के राजपत्न में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- (2) इन विनियमों को भा० पु० से० (संवर्ग संख्या का निर्धारण) 5वां संशोधन विनियम कहा जायेगा।

संवर्ग संख्या के निर्धारण के लिए संशोधन 1---राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 48 पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अपर महानिरीक्षक 1 पुलिस उप-महानिरीक्षक 9 पुलिस सहायक महानिरीक्षक 2 पुलिस अधीक्षक 26 पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी० (अपराध) 1 पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी० (खफिया) 1 पूलिस अधीक्षक, सी० आई० डी∙ एस० बी० (जोधपुर जौन) 1 पुलिस अधीक्षक , रेल 1 अधीक्षक, पूलिस भ्रष्टाचार निरोध गाखा 1 महानिरीक्षकः, पुलिस सहायक यातायात 1 प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल . 1 कमांडेंट, आर०ए०सी० 2

48

2केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजवं उपर्युक्त	पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, अपराध	
1 के 40 प्रवास की दर से 19	पुनं प्रशिक्षण .	1
3——आई० ए० एस०/आई० सी० एस०	सहायक पुलिस महानिरीक्षक	1
भर्ती नियम, 1954 के नियम 8	कमांडेंट, एस० ए० आर० सी० पी०	•
के अधीन पदोक्षति और प्रवरण	एल० : अम्बरपैंट, हैदराबाद	1
कारा भरे जाने वाले पद उपर्यक्त	कमांडेंट्स, ए० पी० स्पेशल, पुलिस	-
1 और 2 के 25 प्र ाण की द र	बटालियन .	2
से . 17	पुलिस अधीक्षक (जिले) .	21
	पुलिस अधीक्षक (रेलये) .	2
4सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले	पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा,	_
पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3	सी० आई० डी० .	1
घटाकर . 50	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा,	
5—-प्रतिनियुक्ति रिजर्थ उपर्युक्त 🕢	सी० आई० डी० .	1
के 20 प्र ंश ं की दर से . 10	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता एकक,	
6 <mark>खुट्टी रिजर्व उ</mark> पर्युक्त 4 के 5 प्र०	सिविल सप्लाईज .	1
श०की दरसे . 3	संयुक्त निदेशक, भ्रष्टाचार निरोध	
7कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के	ब्यूरो	1
20.60 प्र०श० की दर से 10	प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज	1
8—-प्रशिक्षण रिजर्न उपर्युक्त 4 के	पुलिस उपायुक्त (विधि एवं व्यवस्था	
10.59 प्र०शा०की दर सं . 5	I और II शहर, अपराध णहर, एस०	
सीधी भर्ती पद 🕛 78	बी० शहर, यातायात शहर तथा	
पदोन्नति पद 17	लाइसेंसिंग सिटि आर्म्ड पुलिस)	6
—I THAM	एस० बी०, सी० आई० डी०, अपराध	
कुल प्राधिकृत संख्या 95	् शाखा, सी० आई० डी० तथा	
	विशाखापत्तनम् दक्षिण, पूर्वं गोदावरी,	
सं॰ 16/45/72-पर्सनल-2भारतीय पुलिस सेव (संवर्ग)	गुन्टूर, कुरन्ल, करीमनगर,वारंगल,	
ानयम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसरण	खम्भाम, विशाखापत्तनम् उत्तर,	
में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से	नैल्लोर, चित्तूर तथा कृष्णा जिलों	,
भारतीय पुलिस सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग की संख्या	में अपर पृलिस अधीक्षक	13
और संरचना का पुनरीक्षण किया है और केन्द्रीय सरकार	_	
एतदृद्वारा निदेश देती है कि भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग)		63
संख्या नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में आन्ध्र	 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 	
प्रदेश से संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियां	्रके 40 प्र०श० की दर सै .	25
प्रतिस्यापित की जायेंगी, अर्थात् :	_	
ि 1. यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाणित होने की		88
तारी ख प्रवृत्त होगा ।		
 इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या 	 भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति 	
नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1972 कहा जा सकेगा।	1954 के नियम 9 के अवान पदान्तात और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद	
संवर्ग संख्या नियतन में संशोधन	_	
 राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद— 63 	उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र ०शा० की	2.0
पुलिस महानिरीक्षक . 1	दर से	22
निदेशक, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	
(अपर पुलिस महानिरीक्षक) . 1	उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटा कर .	66
पु लिस उप-महानिरीक्षक, ए०पी०एस०पी०बटा०,	 प्रतिनियुक्ति रिज् र्थ उपर्युक्त 4 के 20 	
होम गार्डस तथा वेल्फेयर • 1	प्र०श० की दर से .	13
पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशा०) . 1	 छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० १०० 	
पुलिस आयुक्त . 1	की दर से	3
पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेजस) . 5	 कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.6 प्र०श० 	
पुलिस उप-महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस) 1	की दर से	13

6
~ - -
101
22
123

विनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० 24/19/72-पर्सनल-2--भारतीय पुलिस सेवा (परि-वीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की, प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से, भारतीय पुलिस सेवा में सहर्ष पुष्टि करते हैं:--

नाम		पुष्टिकरण की तिथि
1. श्री रामनिवास शर्मा	•	4-7-1971 (पूर्वाह्म)
2. श्री जंगी सिह	•	5-7-1971 (पू र्वाह्न)
 श्री हिमांशु कुमार 	•	28-7-1971 (पूर्वाह्म)

 इस मन्त्रालय की दिनांक 29 सितम्बर 1972 की समसंख्यक अधिसूचना एतदृढ़ारा रह की जाती है।

> पी० पी० खन्ना, निदेशक (पुलिस)

नई विल्ली:-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० ए०-35014/103/71-प्रशासन-1(क)--गृह मंतालय के संयुक्त सचिव गृह मंतालय संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधि-कारी, श्री ए० एन० सिक्का को किनष्ट विश्लेषक के पद पर रुपये 400-25-500-30-590-द० रो०-30-830-35-900 के वेतनमान में दिनांक 19 अक्तूबर 1972 से 31 मार्च 1973 तक या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाता है, इनमें जो भी अवधि पहले हो, तब तक के लिए नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-32014/12/72-प्रशासन-1 (क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को, उनके नाम के आगे लिखी गई अवधियों तक, गृह मंत्रालय में विषाद अस्थायी आधार पर उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारियों के पदकम में कार्य करने के

लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं :		
क्र० अधिकारी का नाम सं०		अवधि जिसके लिए नियुक्त किये गये
 श्री पी० एम० अग्रवाल 	•	22-11-72 से 5-1-73 तक
2. श्री के० एल० वधावन	•	23-11-72 से 5-1-73 तक
3. श्री एन० के० जैन .		22-11-72 से 5-1-73 तक
4. श्री डो० एल० झांजी	•	22-11-72 से 5-1-73 तक
5. श्री एच० बी० दरयानी		5-12-72 से 5-1-73 सक

सं० ए०-32014/2/72-प्रशासन-1(क)—-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिववालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के स्थायी सहायक श्री सी०ए० नेडुंगडी को दिनांक 18नवम्बर 1972 (पुर्वाह्म) से 31 दिसम्बर 1972 तक की अवधि के लिए उसे सेवा के अनुभाग अधिकारी पद कम में सहर्व नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री सी० ए० नेडुंगडी को उक्त अवधि के लिए अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्मिक विभाग में नियुक्त करते हैं।

के० राममूर्ति, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० ए०-32013/20/72-प्रशासन-1(क)—राष्ट्रपति, श्री बी० शुक्ल को दिनांक 26 नवम्बर 1972 से 25 जनवरी 1973 (दोनों दिन सम्मिलत) तक की अवधि के लिए पुर्नीनयोजन-शर्तों पर गृह मंत्रालय में उप-सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

्आर० ए० एस० मणि, उप-सचिव

प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

1972

सं० ए०-12026/3/70-प्र० सु०(प्र०)—राष्ट्रपति जी, निर्माण आवास तथा नगर विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा सम्पदा निदेशालय में सहायक निदेशक श्री ए० एल० राजेन्द्रन को 1 दिसम्बर 1972 के दोपहरपूर्व से, अगला आदेश होने तक प्रशासनिक सुधार विभाग में स्थानापन्न रूप सेवरिष्ठ विश्लेषक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० सम्पथकुमारतन्, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 1972

सं० 121/पी०बी०/72-भारतीय विदेश सेवा (अ) के सामान्य सवर्ग के समेकित वर्ग-II और III में कार्यरत अधिकारी, श्री एम० के० टंडन, ने 23 अक्तूबर 1972 के दोपहर-पूर्व से भारतीय राजदूतावास, मोगाडिशू में कार्य-नायक (अंतरिम) के पद का कार्यभार संभान लिया।

्रस० जे० सिंह, अवर सचिव (पी०बी०)

नई दिल्ली, दिनांक 4 विसम्बर 1972

सं० 480-पी० ए०-II/72—-भारतीय विदेश सेवा (ख-शाखा) के वर्ग-I के अधिकारी श्री पी० के० कपूर ने, निवर्तन-आयु में पहुचने पर दिनांक 18 नवम्बर 1972 के पूर्वाह्न से भारतीय राजदूतावास सोफिया के प्रथम सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

दिनांक 12 दिसम्बर 1972

सं 172-पी ए०-1/72--श्रीमती के रिक्मिणी मेनन ने 29 नवम्बर 1972 के पूर्वाह्न से विदेश मन्नालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 173/पी० ए०-1/72—बोन में भारत के राजदूत के रूप में स्थानान्तरित होने पर श्री बाइ० के० पुरी ने 29 नवम्बर 1972 के अपराह्म से कोलम्बो में भारत के हाई कमिश्नर के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 13 दिसम्बर 1972

सं० 174-पी० ए०-1/72-भारतीय विदेश सेवा के वर्ग-1 में नियुक्त होने पर, मैं क्सिको में भारत के राजदूत श्री एस० के० राय ने 23 सितम्बर 1972 के अपराह्म में राजदूत (भारतीय विदेश सेवा के वर्ग-II) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 24 सितम्बर 1972 के पूर्वाह्म से राजदूत (भारतीय विदेश सेवा के वर्ग-I) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं 175/पी० ए०-1/72—कोलम्बो में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में स्थानान्तरित होने पर, श्रीवी० एच० कोइल्हो ने 26 नवम्बर 1972 के अपराह्म से तोक्यो, जापान में भारत के राजदूत के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 14 दिसम्बर 1972

सं० 176-पी० ए०-1/72—अवकाश एवं स्थानान्तरण पर मास्को स्थित भारत के राज दूतायास के लिए जाते हुए श्री पी० एल० सिनाइ, निदेशक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली मे 6 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० 177/पी० ए०=1/72—सोफिया स्थित भारत के राजदूतावास में स्थानान्तरित होकर अवकाश पर जाते समय श्री के० पी० लुकोस ने 8 सितम्बर 1972 के अपराह्म से विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, में संयुक्त सचिव का कार्यभार छोड दिया।

दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० 178/पी० ए०-1/72-गुयाना, आर्जटाऊन में हाई किमश्नर के रूप में स्थानान्तरित होने पर, डा० गोपाल सिंह ने 17 नवम्बर, 1972 के अपराह्म से बल्गारिया, सोफिया में भारत के राजदूत के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० 179-पी० ए०-1/72--भारतीय राजदूतावास, खारतूम से स्थानान्तरित होकर श्री के० एल० दलाल ने 11 दिसम्बर, 1972 के पूर्वीह्न से विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 180/पी० ए०-1/72—स्यानान्तरित होने पर, श्री के० एल० दलाल ने सूडान, खारतूम में भारत के राजदूत के पद का कार्यभार 30 नवम्बर 1972 के अपराह्न से छोड दिया ।

दिनांक 20 दिसम्बर 1972

सं० 181/पी० ए०-1/72—राष्ट्रपति, भारतीय बिदेश सेवा के वर्ग-III के अधिकारी, श्री जे० एन० मेहता को 3 नवम्बर 1972 के पूर्वाह्म से अगला आदेश होने तक, वर्ग-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियक्त करते हैं।

सं० 182/पी० ए०-1/72—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के वर्ग-II के अधिकारी, श्री कृष्णमूर्ति को उनवम्बर 1972 के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, इसी सेवा के वर्ग-I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

सं० 183-पी० ए०-1/72--भारतीय विवेश सेवा के वर्ग-II में नियुक्त होने पर, सान्तिआगो में भारत के राजदूत श्री जी० जे० मिल्लिक ने 24 सितम्बर 1972 के अपराह्म से राजदूत (भा० वि० से० वर्ग-III) के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा उसी दिन से राजदूत (भा० वि० से० वर्ग-II) का कार्यभार संभाल लिया।

इन्द्रजित सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1972

सं० सी० पी० एंड ई० ओ०/II/72—भारतीय विदेश सेवा की गाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग II और III के अधिकारी श्री बी० के० गोगोई को 21 नवम्बर 1972 के अपराह्म से क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय बम्बई में, प्रतिनियुक्ति पर सहायक पासपोर्ट अधिकारी नियुक्त किया गया है।

टी० वी० रामाकृष्णाराव, अवर सचित्र

नई दिल्ली, विनांक 12 विसम्बर, 1972

सं० 122/पी० बी०/72—भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-II और III के स्थानापन्न पदाधिकारी. श्री सुशील चन्द्र ने, निवर्तन आयु को प्राप्त होने पर, विदेश मंत्रालय. नई दिल्ली में, अनुभाग-अधिकारी के पद का कार्यभार दिनांक 24 नवस्थर, 1972 के अपराह्म से छोड़ दिया।

के० आर० सुद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० 25-पी० टी॰ तीन/72—भारत के राष्ट्रपति 29 अगस्त 1972 से कलकत्ता में डेनमार्क के अवैतनिक कोंसल के रूप में श्री स्वेन एडाल्फ पाम की नियुक्ति की पुष्टि करते हैं उनकी नियुक्ति पर अस्थायी स्वीकृति की घीषणा विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० 19-पी० टी॰ तीन/72, दिनांक 10 नवम्बर, 1972 में की गई थी।

एल० टी० पुदैत, उपनयाचार प्रमुख (विशेष)

वित्तः मंद्रालय (राजस्य और बीमा विभाग) प्रधान कार्यालय संस्थापन

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1972

सं० 134--केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के स्थायी अधि-कारी श्री एस० के० मित्तल, जो, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) में अवर सचिव के रूप में तैनात थे, 9 दिसम्बर, 1972 के दोपहर बाद से सरकारी सेवा से निवृत हो गये।

दिनांक 12 दिसम्बर 1972

ं सं 135---राष्ट्रपति जी ने केंद्रीय सिचवालय सेवा के वित्त मंत्रालय संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री बी व आर श्रमि को, जो जक्त सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे, 26-10-72 के दोपहरपूर्व से अगला आदेश होने तक अवर सिचव, केंद्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क वोर्ड और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) में पदेन अंवर सिचव नियुक्त किया है।

दिनांक 13 दिसम्बर 1972

सं० 26 फा॰ सं० 31/4/71-प्रणा०-1ए०—राष्ट्रपति जी ने केंद्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एम॰ एम॰ शर्मा की, शिमला स्थित बीमा नियंत्रक के कार्यालय में प्रशासन अधिकारी के संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति को, 1 जुलाई, 1972 से 31 दिसम्बर 1972 तक की अतिरिक्त अवधि के लिये बढ़ा दिया है।

्एस० आर० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, विनांक 18 दिसम्बर 1972

संव 2-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 की 5) की धारा 492 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चण्डीगढ़ केन्द्रीय उत्पादन-शुक्क समाहर्ती-कार्यालय के श्री धर्म पाल शर्मा, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन-उत्पादमशुक्क तथा श्री अवतार सिंह, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन- णुल्क को केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कृ कप्रमीर तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में उन सभी मामलों को चलाने के लिए लोक-अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है, जो केन्द्रीय उत्पाद- जुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), सीमाणुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), स्थर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45), विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7)और अन्य समवर्गी अधिनियमों से उत्पन्न होते हैं जिनमें उनके अन्तर्गत बनाये गये अथवा जारी किये गये सभी नियम, विनियम, अधिसूचनाएं तथा आदेण गामिल हैं।

दिनांक 8 अप्रैल, 1968 को फा० सं० 15(23)64-प्रशा०-IV क के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को, जिसके द्वारा श्री दीदार् सिंह तथा श्री पी० एम० वर्मा को लोक-अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था, एतददारा रहे किया जाता है।

रा० वि० स्खरणकर, उप-सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1972

सं० ए० 32014/1/72-ई-1(ए)—-राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय सिचवालय सेवा के, वित्त मंत्रालय संवर्ग के सहायक ग्रेड के निम्म-लिखित स्थायी अधिकारियों को, प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए व्यय विभाग (असैनिक) में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है।

नाम	अवधि
 श्री एम० एस० लाल	1-12-1972
	तक
त्री ई० णंकरन्	1-12-1972 से 16-12-1972 तक
री एस० आर० च क्रवर्ती	1-12-1972 से 31-12-1972 तक
भी बी० एन० जोशी	6-12-1972 से 31-12-1972 तक
	श्री एम ० एस ० लाल श्री ई० णंकरन् री एस० आर० चक्रवर्ती

दिनांक 15 दिसम्बर 1972

सं० पी० एफ० जी० (1106) ई/(ए)/72—राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त मंद्रालय संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को, जो उक्त सेवा के ग्रेड 1 में स्थाना-पन्न रूप में कार्य कर रहे थे, 26 अक्तूबर 1972 के दोपहर पूर्व से, अगला आदेश होने तक, वित्त मंद्रालय, व्यय विभाग में अवर सचिव नियुक्त किया हैं।

- 1. श्री डी० सी० सेन गुप्ता
- 2. श्री जी० के० पंजाबी

विनांक 16 विसम्बर 1972

सं० पी० एफ० जी० (1106) ई/(ए)/72—राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय सिवालय सेवा के वित्त मंद्रालय संवर्ग के निम्मलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को, प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के वोपहर पूर्व से, अगला आवेश होने तक, वित्त मंद्रालय, व्यय विभाग (असैनिक) में स्थानापन्न अवर सिवा नियुक्त किया है।

श्री एल० के० राठौड़

30 अन्त्वर 1972

2. श्री एस० जयरामन

13 नवम्बर 1972

आर० एल० सूद, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1972

सं० पी० एफ० जी० (210) प्र० II— राष्ट्रपति सहर्षं, वित्त मंत्रालय, छठे वित्त आयोग में अभी प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग के उप सिषव श्री ए० जी० कृष्णन्, जो 19 सितम्बर, 1972 (पूर्वाह्म) को निवर्तन की आयु के होने के कारण सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाले थे, का सेवा काल 19 सितम्बर, 1972 से 31 अक्तूबर, 1973 तक अथवा वित्त आयोग का काम समाप्त होने तक, दोनों में से जो भी बाद में हो, बढ़ाते हैं।

सं॰ ए॰ 19014/7/72-प्र॰ II—राष्ट्रपति सहर्षं, केन्द्रीय सिषवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एम॰ एल॰ भसीन को 2 सितम्बर, 1972 से 10 अक्तूबर, 1972 (अपराह्म) तक 39 दिन के लिए सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. इस विभाग की 7 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं० ए॰ 19014/7/72-प्र॰ II को एतद् द्वारा किया जाता है।

दिनांक 23 नवस्वर 1972

सं० ए० 19013/5/72/प्र० II---राष्ट्रपति सहर्षे भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी श्री एम० एल० कपूर के योजना आयोग, नई दिल्ली से बदली होकर आमे पर उन्हें 17 नवम्बर, 1972 (पूर्वाह्म) से अगले आदेश तक आर्थिक कार्ये विभाग में सहायक आर्थिक सजाहकार नियुक्त करते हैं।

विनाक 13 दिसम्बर 1972

सं० ए० 35018/6/71-प्र I—राष्ट्रपति सहर्ष, महालेखा-कार वाणिज्य, निर्माण-कार्य और विविध, नई दिल्ली के कार्यालय से इस विभाग में प्रतिनिधुक्ति पर काम कर रहे श्री एक० सी० जैन, सहायक अधीक्षक को 8-12-72 (पूर्वाह्म) से अगले आवेश तक विक्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग में अनुभाग अधिकारी (असम्मिलित) नियुक्त करते हैं।

के० राधाकुष्णन्, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1972

सं॰ एफ॰ 5(22)72-करेंसी—-राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री बी॰ एस॰ लालचंदामी को, जो अब नासिक रोड स्थित भारत 2—402GU72 प्रतिभूति मुद्रणालय में स्थानापन्न उप-मास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, 20 अप्रैल, 1972 से इसी मुद्रणालय में स्थायी रूप से सहायक मास्टर के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक दिसम्बर 1972

सं० एफ० 5(22)-72-करेंसी—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री एन० पी० सरनायक को, जो अब नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में स्थानापन्न उप-महाप्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे हैं, 20 अप्रैल 1972 से इसी मुद्रणालय में स्थायी रूप से उप-मास्टर नियुक्त किया है।

विनांक दिसम्बर 1972

सं० एफ० 5(22)/72-करेंसी—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री जी० डी० डींगरा को, जो अब नासिक रोड—स्थित भारत प्रति-भूति मुद्रणालय में स्थानापन्न उप मास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, 20 अप्रैल 1972 से इसी मुद्रणालय में स्थायी रूप से सहायक मास्टर के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक दिसम्बर 1972

सं० एफ० है (22)-72-करेंसी--राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री के० एस० ए० चारि को, जो अब नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में स्थानापन्न उप-मास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, 3 फरवरी 1969 से इसी मुद्रणालय में स्थायी रूप से सहायक मास्टर नियुक्त किया है।

दिनांक दिसम्बर 1972

सं० एफ० 5(22) 72-करेंसी—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री एम० बी० चार को, जो देवास-स्थित बैंक नोट प्रेस में तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, 20 अप्रैल 1972 से नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में स्थायी रूप से सहायक मास्टर नियुक्त किया है।

दिनांक दिसम्बर 1972

सं० एफ० 5(22)/72-करेंसी—राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री पी० एम० राव को, जो अब होसंगाबाद—स्थित प्रतिभूति कायज कारखाने में स्थानापन्न महाप्रवस्थक के रूप में कार्य कर रहे हैं, 3 फरवरी 1969 से नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मूडणास्य में स्थायी रूप से उप-मास्टर नियुक्त किया है।

एम० के० बकटरामन, अवर सचित्र

नई विल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1972

सं० जी० 11012/1/72/प्र III—राष्ट्रपति सहर्षे, श्री जी० की० रामकृष्ण, भा० प्र० से०, को 1 दिसम्बर, 1972 (अपराह्म) से अगले आदेश तक भारतीय दूताबास, वार्षिगटन में मंत्री (आर्थिक) नियुक्त करते हैं।

एस॰ एत॰ दत्त, अबर समिब

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1972

सं० क० 32014/1/प्र०/72—राष्ट्रपति ने प्रसम्भतापूर्वक वित्त महालय के केन्द्रीय सिनवालय संवर्ग सेवा के सहायक पदकम के स्थापी अधिकारी श्री टी.० के० लक्ष्मीकांतन की नियुक्ति वित्त मिलालय, वैकिंग विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रुप हे कार्य करने के लिए 1-11-1972 से 30-11-1972 तक की अब्हिध के लिए और बढ़ा दी है।

टि॰ रा॰ विश्वनाथन, अवर सचिव

सरकारी उच्चम कार्यालय

ॅनेई दिल्ली, दिनांक 18 विसम्बर 1972

सं० ए० 12023/42/72-प्रशासन—राष्ट्रपति ने प्रसन्नता-पूर्वक श्री एन० के० चक्रवर्ती जो मध्य रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के अधिकारी हैं और महानगरी परिवहन परियोजना (रेलवे), कलकत्ता में स्थानापन्न कार्यकारी इंजीनियर हैं, को दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से अगला आदेश आरी होने तक विस्त मंद्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में उप-सलाहुकार (निर्माण) के पद पर नियुक्त किया है।

श्याम सुन्दर शर्मा, उप-सचिव

रमाणु कर्जा विमाग

बम्बई-1, दिनांक 30 नवम्बर 1972

स० 2/5(7)/71-पी०—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक स्थायी फोरमेंन, श्री टी० सारंगन, जो इस विभाग के भारी पानी परियोजना कोटा में काम कर रहे हैं ने, उनका त्याग-पन्न स्वीकार किये जाने से, सितम्बर 20, 1972 के अपराह्म को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सु० कु० चौधरी, अवर सचिव

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1972

सं० 7(70)/72-प्रशासन—परमाणु र्ऊर्ज विभाग में, भारत सरकार के सयुक्त सचिव, इस विभाग की सहायक श्रीमती ए० टी० मेथ्यूस की इस विभाग में विसम्बर 11, 1972 के पूर्वाह्म से, आगामी आदेश जारी होने तक, श्री लाल, अनुभाग अधिकारी जो छुट्टी पर रवाना हो गये हैं की जगह पर अनुभाग अधिकारी के कृष्य में स्थानस्थन रूप से नियुक्त करते हैं।

दु० च० चोपरा, अवर सचिव, कृते संयुक्त सचिव

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, बिनांक 2 विसम्बर 1972

े संकार 27/72/प्र/11/2023/17/72-ई०-1)--श्री टी० के० गांगुली ने 1 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से गवेषणा अधिकारी (भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4 में सम्मिलत एक पद) के पद का कर्यिमार छोड़ा। 2. राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में वरिष्ठ अन्वेषक, श्री टी० के पांगुली को 1 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाक्ष से 3 महीने की अवधि के लिए इस मंत्रालय के टी० पी० प्रभाग में 400-900 रुपये के वेतनमान में गवेषणा अधिकारी के पद पर स्थानापन रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

सं० 128/72 (ए/12023/17/72-ई०-1)--श्री एल० के० सरकार ने 1 दिसम्बर 1972 के पूर्वाह्म से इस मंद्रालय के टी० पी० प्रभाग में गवेषणा अधिकारी (रु० 400-900) के पव का कार्यभार छोडा।

2. राष्ट्रपति, विदेश ध्यापार मंत्रालय में वरिष्ठ अन्वेषक श्री एल० के० सरकार को 1 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से छः महीने की अवधि के लिए इस मंत्रालय में 400-400-450-30-600-35-670 द० रो०-35-950 ए० के वेतनमान में गवेषणा अधिकारी (भारतीय आधिक सेवा के ग्रेड-4 में सम्मिलित एक पद) स्थानापन्न रूप में तवर्ष आधार पर नियुक्त करते हैं।

वेद प्रकाश, अबर समिष

ं नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1972

सं ० 14/72(ए-32013/1/72 ह० शि०)—-राष्ट्रपति, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली में एक स्थामी कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी श्री आर० के० भगोता को श्री एस० के० भगोट, जो छुट्टी पर हैं, के स्थान पर उसी कार्यालय में 15-5-1972 से 14-6-1972 तक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर, जो भारतीय सांख्यिकी सेवा की श्रेणी-4 में सम्मिलित एक पद है, तवर्ष आधार पर नियुक्त करते हैं।

2 श्री आर० के० भगोत्ना को कुमारी सीता किरपाल, जो छुट्टी पर हैं, के स्थान पर 24-7-1972 से 21-9-1972 तक अखिल भारतीय हस्तिशिल्प बोर्ड में सहायक निदेशक के रूप में भी तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

टी० सी० ए० श्रीनिवासन, उप-निदेशफ

(तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1972

सं० 26/72(3-एजी०(8) ए० एफ०/71-प्रशासन) — राष्ट्र-पति, विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रदर्शनी तथा वाणिज्यक प्रचार निदेशालय में सहायक निदेशक (समन्वय तथा विक्त) श्री जी० जी०कर्ना को 18 जून 1972 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर, 1972 तक के लिए तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बिदेश व्यापार मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से बिस्कुल अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

विनांक 27 नवम्बर 1972

सं० 31/72 (2-एग्जी० (8)ए० एफ०/71-एडम०)---राष्ट्रपति, विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रदर्शनी तथा वाणिज्यक प्रचार निदेशालय में स्टोर अधिकारी श्री वी० बी० वितासकर की 30 अन्तूबर, 1972 के पूर्वाह्म से 31 विसम्बर 1972 के अपराह्म तक तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायक निवेशक के पद पर बिल्कुल अस्थाई तथा तंवर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

परमातम सिंह, अवर सचिव

(अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1972

अधिसूचना सं० 3/72(ह० व०—प्रशा/44/28/72 दिनांक 16-9-72 का शुद्धि पद्म)।

अखिल भारतीय हस्तिमिल्प बोर्ड के अधिसूचना सं० 3/72 (ह० व०-प्रशा०-44(28)/72 दिनांक 16-9-72 में निम्न-लिखित संशोधन किये जायें :---

- 1. श्री आर० के० भगोतरा का एक सहायक विकास अधिकारी के रूप में पद, जो कि अखिल भारतीय हस्तिमल्प बोर्ड के आदेश सं० प/462/ह०व०/ह०व०/नुमा०/1/71 दिनांक 19-8-72 तथा 17-10-72 के द्वारा मंजूर किया गया है, ता० 22-9-72 से दूसरे आदेश मिलने तक जारी रहेगा।
- 2. श्री जी० के० भटनागर का एक सहायक विकास अधिकारी का पद जो कि अखिल भारतीय हस्तिशिल्प मन्डल के आदेश संख्या प/462/ह०व०/नुमा/1/71 दिनांक 19-8-72 द्वारा तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये मंजूर किया गया है ता० 19-8-72 स दूसरे आदेश मिलने तक जारी रहेगा।

दीनानाथ सराफ, हस्तणित्प विकास आयुक्त

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई विल्ली, विनांक 7 दिसम्बर 1972

सं० ए-11013/2/70-स्था०--इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 4-8-72 के अनुक्रम में डा० पी० दयाल की इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) में विरष्ठ औद्योगिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति की अविधि को 23-11-72 से 22-2-73 तक की अतिरिक्त कालाविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है।

विनांक 12 दिसम्बर 1972

सं० ए०-1202/8/72-स्था०--विस मंत्रालय (ब्यय विभाग) में मुख्य लागत लेखा अधिकारी (सेवा निवृत्त), श्री एन० कृष्णन ने, जिन्हें 16-2-72 से 15-9-72 तक की कालावधि के दौरान इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) में विभोध-कार्य अधिकारी के रूप में पुनः नियोजित किया गया था, 15 सितम्बर, 1972 के अपराह्म से विभोध कार्य अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सं० ए०-12022/7/70-स्था०--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिषवालय सेवा के स्थायी सहायक, श्री एस० कुजूर को 15-11-72 से 30-12-72 तक की कलाबधि के लिए सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में और इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) में अनुभाग अधिकारी के रूप में,पूर्णतः अस्थायी आधार पर,स्थाना-पन्न रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष अनुज्ञात करते हैं।

वीरेन्द्र कुमार हरूरे, अवर सचिव

(इस्पात विमाग)

नर्षे दिल्ली-110011, दिनांक 12 विसम्बर 1972

संव 11(7)/72-प्रशासन-I (.)—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सिवालय सेवा (लोहा तथा इस्पात मंत्रालय संवर्ग) के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री ए० के० राय चौधरी को 5-11-1972 से 24-11-72 तक की और अवधि के लिए उसी सेवा के ग्रेड-I मैं स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने उपर्युक्त अवधि के लिए श्री ए० के० राय चौधरी को इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) में अवर सिवन के पद पर भी स्थानापन रूप से नियुक्त किया है।

घरंजीत लाल, अवर सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1972

सं 15/साल्ट/72—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं 8/72/साल्ट, दिनांक 26—8—1972 को अतिष्ठित करते हुये, राष्ट्रपति, श्री डी० वी० कीर्तिकर, सहायक नमक आयुक्त को 13—7—1972 (पूर्वाह्म) से आगामी आदेशों तक उप-नमक आयुक्त, जयपुर नियुक्त करते हैं।

विनांक 27 अक्तूबर 1972

- सं 12/साल्ट/72—नमक विभाग में उप-अधीक्षक लबण, श्री ई० ए० जोर्ज को दिनांक 19-10-1971 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में अधीक्षक लबण, गवर्नमेंट साल्ट गोलाहुज, हाबड़ा, नियुक्त किया जाता है।
- 2. दिनांक 16-8-72 की अधिसूचना सं० इ/सास्ट/72 एतद् द्वारा रह की जाती है।
- सं 14/साल्ट/72—नमक विभाग में अधीक्षक लवण श्री एच० एन० बनर्जी की दिनांक 23-10-1971 के पूर्वात से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में सहायक नमक आयुक्स त्तीकोरिन, नियुक्त किया जाता है।

सं 0 13/साल्ट/72---नमक विभाग में उप-अधीक्षक लक्षण, श्री के 0 बनर्जी को दिनांक 21-3-1972 के पूर्वाह्म से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में अधीक्षक लवण नौपाडा (मद्रास लवण क्षेत्र) नियुक्त किया जाता है।

विनांक 16-8-72 की अधिसूचना सं० 3/साल्ट/72
 एतद् द्वारा रह की जाती है।

सं • 11/साल्ट/72---नमक विभाग में अधीक्षक, (अनुसच •) श्री के • एल • मिलक, दिनांक 5-5-72 के पूर्वाह्म से आगामी आदेशों तक स्थामापन्न रूप में लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. दिनांक 29-8-72 की अधिसूचना सं० 6/साल्ट/72 एसवृद्धारा रह की जाती है।

(औद्योगिक विकास विभाग)

सं 0 10/साल्ट/72—नमक विभाग में उप-अधीक्षक, लवण श्री के 0 डी 0 खाडे को स्थानापन्न रूप में दिनांक 2-5-72 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अधीक्षक नमक ,अरान नियुक्त किया जाता है।

2. दिनांक 30-8-72 की अधिसूचना सं० 7/सारूट/७-2 एतद्धारा रद्द की जाती है।

आई० वी० चुनकत, उप-सचिव

नई विल्ली, विनाम 30 अम्तूबर 1972

सं० ए०-12023/6/71-ई०-1-इस विभाग की इसी संख्या वाली दिनांक 4 सितम्बर, 1972 की अधिसूचना के कम में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिवनालय सेवा के ग्रेड-2 में स्थाई स्टेनोग्राफर श्री एस० कृष्णामूर्ति को 8 दिसम्बर तक के लिए जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है औद्योगिक विकास विभाग में स्थानापन्न रूप में ग्रेड-1 स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वंयक्तिक सहायक) बने रहने की अमुमित वेते हैं।

दिनांक 31 अक्तूबर 1972

सं॰ ए॰-12023/3/72-ई॰---1-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिंधवालय सेवा के ग्रेड-4 में स्थाई निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए विभाग/कार्यालय में स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी बने रहने की अनुमति देते हैं:---

ऋ०सं० नाम	से	तक	विभाग/कार्यालय का नाम
1. श्री लाजपत राय खेरा	14-10-1972	23-10-1972	औद्योगिक विकास विभाग तकनीकी
	24-10-1972	8-12-1972	विकास का महानिदेणालय
2. श्री एम० सी० चटर्जी	31-10-1972	12-12-1972	औद्योगिक विकास वि भा ग।

दिनांक 7 नवम्बर 1972

सं० ए०-12023/2/72-ई०-1-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिव-वालय सेवा के स्थाई ग्रेड-1 अधिकारी श्री बी० के० वर्मा को 17 जुलाई, 1972 से 29 अगस्त, 1972 तक 44 दिनों की अग्रेतर अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में सेवा के प्रवरण ग्रेड में बने रहने की अनुमति देते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री वी० के० वर्मा को उपर्युक्त अवधि के लिए औद्योगिक विकास विभाग में स्थानापन्न रूप में उप-सचिव नियुक्त करते हैं।

दिनांक 9 नवम्बर 1972

सं० ए०-15011/1/72-ई०-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचि-वालय सेवा में गृह मंत्रालय संवर्ग के स्थाई सहायक श्री आर० पी० पुरी को 1 नवम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक औद्योगिक विकास मंत्रालय में स्थानापम रूप में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-12023/6/72-ई०-1(1)--राष्ट्रपति, योजना मंत्री के विशेष सहायक श्री एस० गुहन आई० ए० एस० को 24 जुलाई, 1972 के पूर्वाह्म से आगामी आदेशों तक औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के विशेष सहायक स्थानापन्न रूप में निमुक्त करते हैं।

सं० ए०-12023/6/72-ई०-1(2)---राष्ट्रपति योजना मंत्री के वैयक्तिक सचिव श्री पी० थी० कृष्णास्वामी, आई० ए० एस० को 24 जुलाई, 1972 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के वैयक्तिक सचिव स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं। दिनांक 15 नवम्बर, 1972

सं० ए०-12023/3/72-ई० 1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 4 में स्थाई निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दी गई अविध तक के लिए विभाग/कार्यालय में स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी बने रहने की अनुमति देते हैं:--

क० सं० नाम सर्व/श्री	से	तक	विभाग/कार्यालय का नाम
1. शिवकुमार	5-11-1972	31-12-1972	अर्थ सलाहकार का कार्यालय
2. के० आर० अहुजा	1-11-1972	31-12-1972	औद्योगिक विकास मंत्रालय
3. एस० के० भारढाज	1-11-1972	31-12-1972	वही - -
4. आई० डी० तसदार	1-11-1972	31-12-1972	तकनीकी विकास का महानिदेशालय
5. आर० आर० चारी	1-11-1972	30-11-1972	–वही∸
6. आर० एन० सिंह	2-11-1972	30-11-1972	औद्योगिक विकास विभाग /
7. एन० सी० गर्ग	1-11-1972	9-11-1972	विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
8. एस० डी० गुप्ता	10-11-1972	30-11-1972	–वही
8. एसर कार गुन्ता	1-11-1972	30-11-1972	—वह्।
9. एच० के० शर्मा	1-11-1972	7-11-1972	औद्योगिक विकास विभाग 🍨
कः देवर गत्स्वा	9-11-1972	30-11-1972	नावास्तर विकास

^{2.} राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 4 में स्थाई अधिकारी श्री एस० बी० सैन को 21 नवम्बर, 1972 से 5 जनवरी, 1973 तक के लिए औद्योगित विकास विभाग में स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 18 दिसम्बर, 1972

सं० 1(8)/67-ई०-4--इस मंत्रालय की इसी संख्या वाली अधिसूचना दिनांक 12 अक्तूबर, 1972 के कम में राष्ट्रपति, श्री टी० रामसुब्रह्मणयन् को तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 1 नवम्बर, 1972 से तीन महीने की अग्रेतर अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में विकास अधिकारी (इंजीनियरी) बने रहने की अनुमति देते हैं।

जी० रामानाथन्, अवर सचिव,

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर, 1972

सं० पी० एफ० जी० (254) सी० एल० ए० /69—राष्ट्रपति ने भारतीय आर्थिक सेवा के स्थाई श्रेणी 4 अधिकारी तथा कम्पनी कार्य विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के स्थानापन्न पद पर कार्य कर रहे श्री शादीलाल को कम्पनी कार्य विभाग में 21 नवम्बर, 1972 से 12 जनवरी, 1973 तक 53 दिवस की अवधि के लिए संयुक्त निदेशक के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० आर० (75) सी० एल० ए०/67---श्री बी० एस० भागेंब, सहायक कम्पनी रिजस्ट्रार, विल्ली एवं हरियाणा को 9 नवम्बर, 1972 से 21 नवम्बर, 1972 तक 13 दिन का अजित अवकाश, 5, 6, 7 व 8 नवम्बर, 1972 की छुट्टियों को इस अवकाश में सम्मिलत करने की अमुमति स्वीकृत किया गया था।

भारत सरकार, वित्त-मन्त्रालय (कम्पनी कार्य एवं बीमा विभाग) अधिसूचना सा० का० नि० 72, दिनांक 1 जनवरी, 1966 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्री बी० एस० भार्गव को 22 नवम्बर, 1972 पूर्वाह्म से अगला आदेश होने तक सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, दिस्ली एवं हरियाणा के स्थानापक्ष पद पर नियुक्त किया है।

सं० पी० एफ० आर० (85) एडमन०-2/70--आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के कम्पनी रिजस्ट्रार के पद पर स्थानान्तरण होने पर श्री ओ० पी० जैन ने 21 नवम्बर, 1972 पूर्वाह्म से, प्रावेशिक निदेशक कम्पनी विधि बोर्ड कानपुर के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी के पद का कार्य-भार स्थाग दिया। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य एवं बीमा विभाग) अधिसूचना साठ काठ निठ 72, दिनांक 1 जनवरी, 1966 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्री ओठ पीठ जैन को 28 नवम्बर, 1972 से अगला आदेश होने तक, श्री एसठ नारायणन, जो अतिरिक्त, कम्पनी रिजस्ट्रार, बम्बई के पद पर स्थानान्तरित हुए, के स्थान पर, बिल्कुल अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर, कम्पनी रिजस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-32014/2/72-प्रशा०-1--राष्ट्रपति, ने विस-मंत्रालय की केन्द्रीय सिषवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्रेणी के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को कम्पनी कार्य विभाग में, उनके नाम के सामने अंकित अविध के लिए, अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है।

ऋ० सं० अधिकारी का नाम	अवधि जिसके लिए नियुक्ति की गई	
1. श्री एस० के ० राय चौधरी	1-12-1972 से	
	31-12-1972 तक	
2. श्री वी० पी० नायर	–यथोपरि–	
 श्री एस० बैनर्जी 	1-12-1972 से	
	30-12-1972 तक	

का० म० गर्मा अवर मसिन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972

प० स्० ए० 12025(1)-137/71-के०स्वा०से०-1-केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेंड के अधिकारी डा० विद्या भूषण ने मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा से अपने स्थानान्तरण के फलस्व-रूप 3 अक्तूबर, 1972 पूर्वाह्न को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (विलिग्जडन अस्पताल, नई दिल्ली) में मनश्चिकित्सा विज्ञानी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

रबीन्द्र नाथ सिन्हा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 1972

पै० सं० ए० 32013/2/72 स्था० (नीति)—राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय सिचवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थाई अधिकारी थ्री एन० ए० सुब्रह्मणी को 2-11-1972 पूर्वाह्म से आगामी आदेशों तक उक्त सेथा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

राष्ट्रपति जी ने श्री एन० ए० सुक्रह्मणी को इसी तिथि से स्वास्थ्य विभाग में अवर सचिव के रूप में भी नियुक्त किया है।

विनांकः 19 दिसम्बरः 1972

पुर सुरु एर 22012/60/72-करुसार स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर प्रथम ग्रेड के अधिकारी डार आरु के अधिकारी डार आरु के अधिकारी कार्आ में मिडिकल कीर से मुक्त होने पर पहली नवस्वर, 1972 पूर्वाह्म को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ एमर्जेंसी चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्य भार संभाल लिया।

प० सं० ए० 12025(1)-56/72 के० स्वा० से०-1-राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जमरल ड्यूटी अफसर
द्वितीय ग्रेड के अधिकारी तथा विलिगडन अस्पताल, नई दिल्ली
में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे डा० श्री
चन्द भाटिया को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेष का ग्रेड में परिबीक्षा
पर नियुक्त कर 11 नवम्बर, 1972 पूर्वाह्न से आगामी आवेशों
तक सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में प्लास्टिक सर्जन के पद पर
अस्थाई रूप से तैनात किया है।

जा श्री जन्द भाटिया ने 11 नवम्बर, 1972 पूर्वाह्न को विलि-गड़न अस्पताल एवं उपचर्या गृह, नई दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 22 दिसम्बर, 1972

सं० ए० 12025(1)-37/71-के० स्वा० से०-1-राष्ट्रपति जी ने डा० चन्द्रपाल सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के
विशेषज्ञ ग्रेड में परिवीक्षा पर नियुक्ति कर 25 अगस्त, 1972
पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक कोयला खान मजदूर कल्याण निधि
के अंतर्गत केन्द्रीय अस्पताल मनेन्द्रगढ़ में काया-चिकित्सक के
रूप में अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 12025(1)-137/70—के० स्वा० से०-1—ह डा० (श्रीमती) कृष्णा देस्वाल ने आर्मी मेडिकल कोर में अल्पावधि सेवा आयोग हेतु अपना चयन हो जाने के फलस्वरूप 23 अगस्त, 1972 अपराह्न को मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में शरीर रचना विज्ञान के लेक्चरर के पद, जिसमें वह तदर्थ आधार पर नियक्त थीं, का कार्यभार छोड दिया।

सं० एफ० 12-(11)-9/69-के० स्वा० से०-1-- राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम द्वितीय ग्रेड के अधिकारी तथा मस्कत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त डा० बी० एल० भट्टाचार्य को 5 फरवरी, 1972 अपराह्म से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी है।

डा० भट्टाचार्य 6 फरवरी, 1972 से 86 दिन के लिए अस्वीकृत अवकाश में चले गए।

न० स० आदिया, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर, 1972

सं० 2-61/71 एफ०—कोलम्बो योजना शिक्षावृत्ति पर आस्ट्रेलिया में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय डा० एन० के० मेनन ने 24 अक्तूबर, 1972 अपराह्म को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में क्षय-रोग के सलाहकार के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० एफ०-4-11/71-एफ०-श्री एस० सी० जौहरी ने विवेश से लौटने पर 25 सितम्बर, 1972 पूर्वाह्न को अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा जनस्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता में श्रव्य-दृग्य अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 7-13/69 एफ०--विदेश में प्रशिक्षण से लौटने पर डा० (कुमारी) सरोज गुप्ता ने 5 अक्तूबर, 1971 पूर्वाङ्क को मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में आयुर्विज्ञान के लेक्चरर के पद का कार्यभार संभाल लिया।

प्रेम नाथ साधु, अवर सचिव,

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर, 1972

सं० ए० 32015/1/71-स्था०-1--राष्ट्रपति केन्द्रीय सिचवालय स्टेमोग्राफर सेवा के ब्रितीय ग्रेड के एक स्थाई अधिकारी श्री जी० ए० अच्तानी को 22-5-1972 से 7-7-1972 तक 47 दिनों के लिए स्वास्थ्य संवर्ग (स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशालय समेत) में स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय सिववालय स्टेनोग्राफर सेवा के प्रथम ग्रेड में वरिष्ठ वैयिक्तक सहायक के पव पर नियुक्त करते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिवेशालय में स्टोनीग्राफर द्वितीय ग्रेड में परावर्तित हो जाने पर श्री जी० ए० अच्तानी ने 7 जुलाई, 1972 अपराह्म से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ंआर∘ पी० मरवाहा, अ<mark>वर सचिव</mark>

कृषि मंत्रालय (<mark>खाद्य विभाग</mark>)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर, 1972

सं 110(478)/स्था०-1/क्षे० स्था०-1-सेवा-निवृत्ति की आयु होने पर इस विभाग के स्थाई उप निवेशक (संचलन) श्री आर० सी० वर्मा जो कि भारतीय खाद्य निगम में विदेश सेवा पर थे, 13 सितम्बर, 1972 के अपराह्म से सेवा से निवृत्त हो गए।

14 सितम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से भारतीय खाध निगम में पुनियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री वर्मा को 120 दिन की अजित छुट्टी जो कि उन्हें लोकहित में अस्वीकार कर दी गई थी, को उनकी पुनियुक्ति की समाप्ति की तारीख से लेने की अनुमृति दी जाएगी।

दिनांक 30 नवम्बर, 1972

सं० 22(177)/60-स्था०-1/क्षे०स्था०-1-सेवा-निवृत्ति की आयुहोने पर इस विभाग के स्थाई उप निदेशक श्री डी० ए० उत्तम सिंह जोकि भारतीय खाद्य निगम में विदेश सेवा पर थे, 30 दिसम्बर, 1971 के अपराह्म से सेवा से निवृत्त हो गए।

31 विसम्बर, 1971 से भरितीय खाद्य निगम में पुनर्नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री उत्तम सिंह को 120 विन की अर्जित छुट्टी जोकि उन्हें लोक हित में अस्वीकार कर दी गई थी, को उनकी पुनर्नियुक्ति की समाप्ति की तारीख से लेने की अनुमति दी आएगी।

शिव राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर, 1972

सं० ए०-12026/1/71-शुगर---राष्ट्रपति कृषि मस्नालय (खाद्य विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्रेड के अधिकारी श्री एम० एस० सोखांडा को 30 नवम्बर, 1972 के अपराह्म से, अगले आदेश होने तक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, तद्वर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं जबकि श्री महेन्द्र नाथ उसी तारीख के अपराह्म से जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय को वापस करें गए।

अमर नाथ चड्डा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर, 1972

सं ० ए०-19011/17/72-स्था०-1--राष्ट्रपति श्री सँगद मेहदी जफर को 21 नवम्बर, 1972 के अपराह्म से, अगले आदेश होने तक, खाद्य विभाग में खाद्य तथा पोषाहार विस्तार अधिकारी के पद पर, स्थामापन्न रूप से, नियुक्त करते हैं।

2. श्री जफर ने उसी तारीख से सामुदायिक डिब्बाबंदी तथा परिरक्षण केन्द्र, भोपाल के कार्यालय में खाद्य तथा पोषाहार विस्तार अधिकारी के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं ० ए०-19011/16/72-स्था०-1--राष्ट्रपति श्री आर० कृष्णराव को 7 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक, खास विभाग में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर, स्थानापन रूप से, नियुक्त करते हैं। 2. श्री राय ने उसी तारीख से संयुक्त तकनीकी सलाहकार, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के कार्यालय में सहायक तकनीकी सलाहकार के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

यू० वी० वी० एल० नरसिम्हम, अवर समिव

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर, 1972

सं० ए०-32014/1/72(11)स्था०-1--कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) की दिनांक 31-7-72,21-8-72,19-9-72 तथा 4-11-72 की इसी संख्या की अधिसूचनाओं के कम में राष्ट्रपति, कृषि विभाग (कृषि मन्त्रालय) के संवर्ग तथा केन्द्रीय सिजवालय सेवा के निम्नलिखित है स्थाई सहायकों की कृषि विभाग में स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्ति की उनके नाम के सामने लिखी हुई अवधियों के लिए अल्पाविध आधार पर जारी रखने की अनुभति देते हैं:---

1. श्री डी० एस० अग्रवाल — कृषि विभाग 1-11-72 (पूर्वीह्म) से 30-11-72 (अपराह्म) तक

3. श्री देव राज शर्मा--कृषि विभाग 1-11-72 (पूर्वाह्म) से 30-11-72

सः 30—11—72 (अपराह्म) तक

4. श्री डी०पी० त्रिबेदी—कृषि विभाग ं 1-11-72 (पूर्वाह्म) से अस्त 30-11-72 (अपराह्म) ू तक

दिनांक दिसम्बर, 1972

संव 32014/1/72-स्था०-1-इस विभाग की इसी संख्या वाली अधिसूचना, तारीख 19 सितम्बर, 1972 के कम में राष्ट्रपति कृषि विभाग (कृषि मन्त्रालय) के संवर्ग में केन्द्रीय सिखवालय सेवा के निस्नलिखित स्थाई सहायकों की नियुक्ति को कृषि विभाग में अल्पकालीन आधार पर स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में 1 नवम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से 30 नवम्बर, 1972 के अपराह्म तक की और अविध के लिए जारी रखने की अनुमित देते हैं।

- श्री जे० पी० मेहता, बनस्पति रक्षणः संगरोधः तथाः संचयन निदेशालय, फरीकाबाद।
- 2. श्री जी० के० कनोजे, वनस्पति रक्षण, संगरोध, तथा संचयन व निवेशालय, फरीवाबीदें।
- श्री आईं० एन० चहान्वें, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, नागपुर।
- 4. श्री कल्याणसुन्दरम्, विपर्णम तथा निराक्षण ानवशालय, फरीदाबाव।

सं० 27-876/71-स्था०-5-पंजाब सरकार के अधीन कृषि निदेशालय में संयुक्त निदेशक कृषि (बहु फसली खेती) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन होने पर, कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के विशेषक्ष (बागवानी) श्री एन० आर० कोड़ा ने 31 अक्तूबर, 1972 के अपराह्म से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सं० 12026/6/72-स्था०-1-इस विभाग की इसी सम्या वाली अधिसूचना, तारीख 26-6-72 के कम में राष्ट्रपति कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के घरिष्ठ तकनीकी सहायक (संचलन) श्री एच० के० शर्मा की नियुक्ति को उसी विभाग में सहायक निदेशक (संचलन सांख्यिकी) के पद पर बिल्कुल अस्थाई और तदर्थ आधार पर दिसम्बर, 1972 तक की और अबधि के लिए, अथवा जब तक पद पर अल्पकालीन आधार पर नियमित भर्ती न कर ली जाए, (इनमें से जो भी पहले हो) जारी रखने की अनुमति देते हैं।

सं 12026/14/72-स्था०-1--कृषि मन्तालय (कृषि विभाग) के सहायक आयुक्त (पशु संगरोध) श्री के० जी० महिन्द्र ने 27 नक्षम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से अपने पद का कार्यभार त्याग विया।

2. राष्ट्रपति कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के सहायक आयुक्त (पशु संगरोध) श्री के जी महिन्द्र को उसी विभाग की गी रक्षा समिति में 27 नवम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से 31 मार्च, 1973 तक के लिए, अथवा जब तक समिति का कार्य पूरा न हो जाए (इनमें से जो भी पहले हो), बिल्कुल अस्थाई आधार पर विशेष कार्य अधिकारी (अनुसंधान) के पद पर नियन्त करते हैं। सौ ० न० सिन्हा, अवर सिषव

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 1972

सं 19-1/72-वाह्य व स्था ०-1--राष्ट्रपति, डाव डब्स्यू ० जीव बलुंजकर को दिनांक 1 मार्च, 1970 के पूर्वाह्म से सम्बाक्त विकास निदेशालय, महास में निदेशक के स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

पो० उ० टामस, अबर समिब

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर, 1972

सं 15-45/69-एफ सी 1 - डा आर सीतारमण, श्रेक्षीय समन्वयकर्ता, (जोनल कोआरडीनेटर) केन्द्रीय बावल अनुसंबान संस्थान कटक को दिनांक 25 जूम, 1962 से उसी संस्थान में स्थायी रूप से सहायक बनस्पती (असिस्टेंट बाटनिस्ट) (राजपत्रित श्रेणी II) के यद पर नियुक्त किया जाता है।

तेजा सिंह प्रुषी, अबर सचिव

शिक्षा तथा समाज करवाण नंत्रालय (संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 1972

स्त एक 1-10/72-सी ए (5)-25 नवस्वर, 1972 (पूर्वीह्न) को सालार जग संब्रहालय, हैवराबाद के निदेशक के पद का कार्य भार छोड़ने पर डा॰ सचिन राय ने 1 दिसम्बूर, 1972 के पूर्वाह्न को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में कीपर के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

बलदेव महाजन; अवर सचिव

संचार मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर, 1972

सं० इ० 32014/3/72-प्रशासन—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिवालय सेवा (संचार मंत्रालय संवर्ग) के स्थायी सहायक श्रीओ०पी०वर्मा को 23-8-72 से 7-10-72 तक की अवधि के लिए उक्त सेवा में स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री वर्मा को डाक-तार महानिवेशालय में तैनात किया गया है।

मदनलाल कक्कड, अवर सचिव

(बान-तार बोर्ड)

नई विस्सी-110001, दिनांक 19 विसम्बर, 1972

सं० 21/21/71-एस० पी० ए० II——डाकतार बोर्ड ने डा० एस० के० गौतम एम० बी० बी० एस०, एम० डी० को नितांत अस्थाई एवं तदथं आधार पर तारीख 1-8-1972 (पूर्वाञ्च) से अगले आदेश होने तक डाक तार औषधालय असलपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त किया है।

सं 0 11/4/72-एस० पी० ए० 1—हाक तार बोर्ड ने श्री डी० बी० बहेरे को पोस्टमास्टर सेवा श्रेणी II में महाराष्ट्र सकल में नितान्त स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 19-7-72 से 31-12-72 तक या स्थानीय व्यवस्था की समाप्ति की वास्तविक तारीख तक, जो भी पहले पड़े, सहर्ष निवुषत किया है।

सं० 1/1/72-एस० पी० ए० 1—-राष्ट्रपति ने तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 के अवर प्रशासन ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एस० के० राय को जो हिन्दुस्तान के बुल्स लिमिटेड, रूपनारायण पुर में प्रतिनियुक्ति पर थे, मूल नियम 30(1) के द्वितीय परम्तुक के प्रयोजन के लिए दिनांक 6-12-1971 से अगले आदेशों तक, तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 के प्रवर प्रशासन ग्रेड में स्थानापन्न प्रोफार्मा पदोन्नति सहवं प्रदान की है।

2. राष्ट्रपति ने श्री एस० के० राय की नियुक्ति को तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 के प्रवर प्रशासन ग्रेड में दिनांक 23 दिसम्बर 1971 से लम्बी अवधि के आधार पर करने का सहवं निर्णय किया है।

एस० जगन्नायन, सहायक महानिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972

सं० 243/3/72-एस० टी० ए० II — श्री ए० जी० खेरव, सहायक इंजीनियर गुजरात सकेंल तथा तार इंजीनियरी सेवा श्रेजी II के स्थायी अधिकारी दिनांक 13-9-72 (अपराह्म) से सेवा निवृत्त हो गए।

दिनांक 20 दिसम्बर 1972

सं० 214/1/72 एस० टी० ए० II—राष्ट्रपति ने तार इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 के प्रवर बेतनमान के पदाधिकारी श्री ए० सेनगुप्ता को तार इंजीनियरी सेवा 1 के अवर प्रशासनिक ग्रेड में तारीख 22-11-72 से अगले आदेशों तक स्थानापक रूप से कार्य करने के लिए अस्थायी एवं तद्र्य आधार पर सहर्ष निय्वत किया है। उन्हें इसी तारीख से निदेशक तार भोपाल के पद पर पदस्य किया गया है।

शिव चन्द्र सचदेव, सहायक महानिदेशक (एस० जी० टी०)

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1972

सं० ए० 31013/1/71-प्रशासन — राष्ट्रपति ने स्थानापक्ष रूप से रेल सुरक्षा आयुक्त का कार्य कर रहे श्री सी० आर० सुले को 25 फरवरी, 1971 से मूल रूप से उसी पद पर नियुक्त किया है।

टी० आर० मूगम्, उप सचिव

नौबहत और परिबहत मंत्राजय (परिवहस पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 1972

सं० ई०-1 (4)/72—-नौवहन और परिवहन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक वर्ग में स्थायी अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह ने 2 दिसम्बर, 1972 के अपराह्न से नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया और उसी तारीख से इस मंत्रालय के परिवहन पक्ष में सहायक के अपने स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित हो गए।

सं० ई०-1 (30)/72—राष्ट्रपति, श्री बादल राय, उप-सचिव, जिन्हें 7-12-1972 से 40 दिन की छुट्टी दी गई है और जोकि उसके बाद कोलम्बो योजना के अन्तर्गत यू० के० में अपनी प्रतिनियुक्ति के लिए जा रहे हैं, के स्थान पर नौबहन और परिवहन मंत्रालय के श्री एन० गोपालकृष्णन, आई० आर० ए० एस०, अवर सचिव को 7 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक के लिए, नौबहन और परिवहन मंत्रालय के परिवहन पक्ष में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 दिसम्बर 1972

सं० ई०-1 (50)/72—राष्ट्रपति, विकास सलाहकार के तकनीकी वैयन्तिक सहायक श्री ए० अनन्याकृष्णन को नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में तदर्थ आधार पर 14 दिसम्बर, 1972 के पूर्वीह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या उक्त पद के लम्बी अवधि के लिए चलते रहने के सम्बन्ध में स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिशों की प्राति होने तक के लिए दोनों म से जो भी पहले हो, निदेशक (डिजाइन) नियुक्त करते हैं।

म॰ 蜂० रामस्वामी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1972

सं० 11-एम० एल० (56)/71—कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सिंगापुर सरकार के अधीन दिक्वालन साधन विशेषक्ष के रूप में अपनी प्रतिनियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री बी० एस० श्रीवत्सन ने 27 जून, 1972 के अपराह्न से दीपघर तथा दीपपोत विभाग में इन्जीनियर (विद्युत् सम्बन्धी) के पद का कार्यभार सींप दिया।

बी० के० साही, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1972

सं ० 10-एम० ए० (10)/72--राष्ट्रपति श्री एस० एस० नफाडे को, 29 अगस्त, 1972 के पूर्वाह्म से अगला आदेश होने तक के लिए जल परिवहन विभाग, बम्बई में नितान्त अस्थामी तौर पर नौसर्वेक्षक नियुक्त करते हैं।

दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

नौवहन महामित्रेशालय बम्बई, विनांक दिसम्बर 1972 (बाणिज्य नौबहन)

सं० 2-एस० एच० (6)/72—नौवहन महानिदेशक एतद्-द्वारा, श्री पुष्पनायन, नियमित डेंक यात्री कल्याण अधिकारी, मुंबई, के निलम्बन होने के परिणाम स्वरूप, प्रेशिक्षण पोत "राजेन्द्रा", मुंबई, के कार्यालय अधिक्षक श्री के० एस० नारायननस्वामी को डक यात्री कल्याण अधिकारी, जल परिवहन विभाग, मुंबई, के रूप में 1 दिसम्बर, 1972 (पूर्वाह्म) से 6 मास की अवधि के लिए अथवा श्री पुष्पनाथन के विषद्ध अन्तिम निर्णय होने तक, नियुक्त करते हैं।

गौरीशंकर बनरजी, नौवहन उप महानिदेशक, कृते नौवहन महानिदेशक।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई विल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1972

संव ई० आर० बी० 1/72/7/5—स्थापना के स्थानापस्य संयुक्त निदेशक, श्री पंचम लाल को 27 नवम्बर, 1972 के अपराह्म से उप निदेशक, रेलवे बोर्ड के रूप में प्रत्यावर्तित किया गया।

दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० ई० आर० बी०-1/72/10/8—रेलवे बोर्ड में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी, श्री आर० एल० अग्रवाल को 30-8-1972 के अपराह्म से सहायक के रूप में प्रत्यावर्तित किया गया।

> एच० एफ० पिटो, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव ।

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1972

सं० ई० 72 पी० एम० 5/6/आर० बी०-2—श्री एम० **यू०** बिजलानी, आणुलिपिक ग्रेड II, को 1-5-67 के पूर्वाह्म से सचिव का स्थानापन्न गोपनीय सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

दिनांक 20 दिसम्बर, 1972

सं० ई० 72 ओ० जी० 4/6/आर० बी०-3—रेलवे बोर्ड सिवजालय सेवा में ग्रेड II के स्थानापन्न स्टनोग्राफर श्री डी० बी० आनन्द को 18-12-1972 से स्थानापन्न रूप से इस सेवा के ग्रेड 1 में नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (जी० पी०) 71/6/17—राष्ट्रपति कृपापूर्वक निम्नलिखित अस्थायी सहायक सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियरों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित रेसों पर और तारीख से सिगनल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं:—

ऋम सं० नाम	रेलवे	तारीख
 श्री एस० कल्याणसुन्दरम् 	दक्षिण	12-10-1972
2. श्री आर० सी० सूद	उत्तर	12-10-1972

सं० ई० (ओ०) 3-72 पी० एम०-6-227—श्री आर० के० दाण्डेकर स्थानापन्न मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर को भारतीय रेलों के मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, के रूप में 1 जून, 1972 से अन्तिम रूप से स्थायी किया जाता है।

दिनांक 21 दिसम्बर, 1972

सं० ई० (ओ०) 6 III-72 पी० एम०-6/195—पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से स्थानान्तरण होने पर डा० एन० के० सरकार, मण्डल स्वास्थ्य अधिकारी को 31-10-1972 के अपराह्न से पूर्व रेलवे पर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में स्थानापन्न स्वास्थ्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० ई० (ओ०) 3-72-पी० एम०-6/166—महानगर परि-वहन परियोजना (रेलें), बम्बई से स्थानान्तरण पर मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप मुख्य परिचालन अधीक्षक श्री बी० सी० मैथियास को 11-10-1972 से दक्षिण रेलवे पर स्थानापन्न मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

सं० ६० (ओ०) III-72 पी० एम० 6/214-I---महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कलकत्ता में कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप मुख्य इंजीनियर श्री ई० श्रीघरन को उसी परियोजना में 21 अक्तूबर, 1972 से मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न इंजीनियर प्रमुख के रूप में नियक्त किया गया।

सं ० ई० (ओ०) III-72-पी० एम०-6/214-II---महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कलकत्ता में स्थानापन्न कार्यकारी इंजीनियर श्री एन० के० चक्रवर्ती को उसी परियोजना में 21 अक्तूबर, 1972 से कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में स्थानापन्न उप मुख्य इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया।

सं० ई० (ओ०) 3-72-पी० एम० 6/170—पूर्व रेलवे से स्थानान्तरित होने पर श्री आर० पी० सरकार, भण्डार उप नियन्त्रक को 20-9-1972 से दक्षिण-पूर्व रेलवे में मध्य प्रशासनिक ग्रेड में भण्डार अधीक्षक के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

एच० एफ० पिटो, सचिव, रेलवे बोर्ड

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर, 1972

सं० 47/72-एफ० 5/20/71--प्रशासन पांच--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत् इन्जीनियरी (श्रणी 1) सेवा में निवेशक/अधीक्षक अभियंता (साधारण ग्रेड) में स्थायी अधिकारी श्री के० सी० कृष्णाम्ति की प्रतिनियुक्ति पर, उत्तरी क्षेत्रीय विजलीवोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में स्थानापन्न क्षमता में 25 नवम्बर, 1972, पूर्वाह्म से, आगामी आदेश तक, नियक्त करते हैं।

मुकेश चन्द, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर, 1972

दिनांक दिसम्बर, 1972

सं० 225/72-एफ० 4/8/71-प्रशासन एक—राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कंघ) में श्री एस० के० गुप्ता को, केन्द्रीय बिजली इन्जीनियरी सेवा (श्रेणी एक) में सहायक निदेशक के ग्रेड में, स्थानापन्न क्षमता में, जब तक और आदेश नहीं दिया जाता 3 नवम्बर, 1972 के पूर्वाह्म से नियुक्त करते हैं।

मुल शंकर पाठक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 1972

सं० 72/72/फ० 2/3/72-प्रशासन दो—राष्ट्रपति, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय केडर के केन्द्रीय सिचवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी और उसी सेवा के ग्रेंड 1 में स्थानापन्न क्षमता में कार्य कर रहे श्री एम० एल० नन्दा को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध) में 3 नवम्बर, 1972 के अपराह्म से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

सं० 73/72-फ० 23/33/66-प्रणा० दो—सिचाई और विद्युत् मलालय के सम्पादक डा० के० एस० रागप्पा को राष्ट्रपति, दिनाक 2 विसम्बर, 1972 के अपराह्म से, निवृत्ति की अवस्था प्राप्त करने पर, सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रवान करते हैं।

अ० कु० सरकार, अवर सचिव

सूचना श्रीर प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 1972

सं० 38013/1/72-प्रशासन-2—राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सिचवालय सेना संवर्ग के पत्न सूचना कार्यालय के अनुभाग अधिकारी जें० एम० शर्मा को अधिवार्षिकी आयु हो जाने पर 12 अक्तूबर, 1972 के अपराह्म से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

क्षी० के० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० 303 (2)/72-बी० (डी०)—अधिवार्षिकी आयु हो जाने पर श्री पी० बी० भट्टाचार्य, निदेशक, फीक्येन्सी असाइन-मेन्ट्स, आकाशवाणी, नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1972 के अपराह्न से सेवा से निवृत्त हो गए।

राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

नई विल्ली, दिनांक दिसम्बर 1972

सं० पी० एफ०/339/सी० आई० एस०—अधिवार्षिकी आयु हो जाने पर, केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4 के स्थायी और ग्रेड-2 (तदर्थ आधार पर) के स्थानापन्न अधिकारी श्री जी० एन० मनकड, 25 नवम्बर, 1972 अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

2. श्री मनकड ने उसी तारीख को समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में सहायक समाचार सम्पादक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० पी० एफ०/125/सी० आई० एस०—केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड-1 के स्थायी अधिकारी श्री आर० एन० चटर्जी, जो पक् सूचना कार्यालय नई बिल्ली में गवेषणा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, का 26 नवम्बर, 1972 को निधन हो गया।

जे० सान्याल, अवर सचिव

निर्माण और आबास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1972

सं० ए०-22012/2/72-प्रशा०-1—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सिचवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एस० पी० पुरी को 15-9-1972 से 14-12-1972 तक अथवा जब तक एक कोई नियमित अधिकारी पद भार नहीं संभालता, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय सिचवालय सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने श्री एस० पी० पुरी को उक्त अवधि के लिए मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के कार्यालय में उप-नियंत्रक प्रशासन के रूप में भी नियुक्त किया है।

दिनांक 8 दिसम्बर 1972

सं० ए०-19011/1/72-प्रशा०-1—श्वी ए० एन० किदवई, आई० सी० एस० ने 8 दिसम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिव, के पद का कार्य-भार संभाल लिया।

दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० ए० 22013/3/71-प्रशासन-1—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सिचवालय सेवा के ग्रेड-1 के स्थायी अधिकारी श्री बी० एम० लाल को 30 अक्तूबर, 1972 के पूर्वाह्म से तीन मास की अवधि के लिए, अथवा जब तक एक नियमित अधिकारी आ जाए, इन में से जो भी पहले हो, उसी सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में स्थानापन्न नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने श्री बी० एम० लाल को निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिवालय में उपरोक्त अवधि के लिए उप सचिव के रूप में भी नियुक्त किया है। सं० ए० 32015/3/72-प्रशासन-1—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सिचवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एम० एस० खुराना को 9 अक्तूबर, 1972 से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय सिचवालय सेवा के ग्रेड 1 में स्थानापन्न नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने श्री एम० एस० खुराना को मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के कार्यालय में उप-नियंत्रक (प्रशासन) के पद पर भी 9 अक्तूबर, 1972 से अगला आदेश होने तक नियुक्त किया है।

वी० आर० अय्यर, अवर सचिव

निर्माण प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1972

सं० 12/6/72-प्रशासन-IV—श्री एच० रहमान, स्थानापम्न मुख्य वास्तुक की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुख्य वास्तुक के रूप में 12-6-1972 से पुष्टि की जाती है।

पी० बी० कुलकर्णी, अवर सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० ए०-32013/2/72-सी० एल० टी०—-राष्ट्रपति जी श्री हिर्रिसंह, उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली को 7 नवम्बर, 1972 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमित देते हैं।

सी० आर० नायर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1972

सं० डी० जी० ई० टी०-5 (70)/72-एस० ए०—-राष्ट्रपति जी, राज्य सरकारों के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से निर्दिष्ट स्टेशनों पर अगले आदेश जारी होने तक, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार विभाग, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय तकनीकी-कला सर्वेक्षण में रोजगार कार्यालयों के सहायक निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं:----

ऋम अधिकारी का नाम	पद जिस पर प्रतिनियुक् ति	नियुक्ति
सं० तथा पद जिस पर	के आधार पर नियुक्त	की तारीख
राज्य सरकार के	किया गया	
अधीन कार्य कर		
रहा है		
(1) (2)	(3)	(4)
ा. श्री डी० पी० वोरा,	रोजगार कार्यालयों के	18-10-72
उप-क्षेत्रीय रोजगार	सहायक निदेशक,	(पूर्वाह्म)
अधिकारी, गुजरात	क्षेत्रीय तकनीकी कला	(1)
सरकार ।	सर्वेक्षण, नादियाड़ ।	

(1) (2)	(3)		(4)
 श्री एस० एन० मोहापटरा, रोजगार अधिकारी, राजकीय रोजगार बाजार सूचना एकक उड़ीसा सरकार। 	कटक	क, क्षेत्रीय	18-10-72 (पूर्वाह्म)
 श्री एम० एल० देशमुख, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार। 	u	पूना	18-10-72 (पूर्वाह्न)
 श्री एन० पी० पिल्ले उप-निदेशक केरल सरकार। 	, यथोक्त,	कन्नानोर	21-10-72 (पूर्वाह्न)
 श्री आर० पी० खुराना, मंडलीय रोजगार अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार। 	यथोक्त,	बिलासपुर	19-10-72 (पूर्वाह्न)

पनर्वास विभाग

नई दिल्ली-11 दिनांक 29 सितम्बर 1972

सं० ए० 19011 (9)/70-प्रशासन~1—राष्ट्रपति, लेफ्टि-नेंट कर्नल आर० एस० अय्यर (आई० सी०-3855) को 1 नवम्बर 1972 से दो मास की अवधि के लिए आगे भी श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में विशेष अधिकारी (राहत) के रूप में अस्थायी तौर पर नियुक्त करते हैं। इनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा।

दिनांक 13 दिसम्बर 1972

सं० ए० 32013 (4)/71-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिचवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अविध तक आगे भी श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में सेवा के ग्रेड 1 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:—

नाम	से	तक
1. श्री बी० एम० घोष	1-11-1972	31-12-1972
2. श्री एस० एल०		
मेदीरत्ता	1-11-1972	31-12-1972
3. श्री बी० सी० सहाय	19-10-1972	31-12-197 2

2. राष्ट्रपति, उपरोक्त अधिकारियों को श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में उक्त अविध के लिए अवर सचिव के रूप में भो नियुक्त करते हैं।

जय किशन अहल्वालिया, संयुक्त निदेशक

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th December 1972

No. 3/2/72-Admn.—In continuation of the Secretariat Notification No. 3/2/72-Admn. dated the 13th November, 1972, the President is pleased to appoint Shri R. P. Gupta, temporary 2nd P.A. to Vice-President of India for a further period from 17th December, 1972 to 27th December, 1972 vice Shri G. L. Kapoor granted extension of leave for the above period.

V. PHADKE, Secy. to the Vice-President of India

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 12th December 1972

No. RS/484/Estt.-P.—Shri T. R. Srinivasan, permanent Reporter in this Secretariat has been granted earned leave preparatory to retirement for 120 days from the 9th December 1972 to the 7th April, 1973.

M. KAMESWARA RAO, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT (Department of Statistics)

New Delhi, the 11th December 1972

No. A-12022/4/70-Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri D. P. Roy, a Grade III Officer of Indian Statistical Service and Deputy Director in the Central Statistical Organisation, Department of Statistics, New Delhi, as Officer-on-Special Duty in an officiating capacity in the same Organisation with effect from the forenoon of 8th December 1972 till further orders.

2. The appointment of Shri D. P. Roy has been made with the approval of the Department of Personnel, the Cadre Controlling authority for I.S.S.

K. C. GEHANI, Under Secy.

(Department of Personnel)

New Delhi-110001, the 14th December 1972

No. F.4/113/72-CS(I).—The President is pleased to permit Shri S. K. Sanyal, a permanent Under Secretary of the Central Secretariat Service who was officiating in Selection Grade of the Service and was working as Deputy Secretary in the Ministry/Departments Education to retire from Government service with effect from the after-noon of 5th November, 1972.

The 19th December 1972

No. F.4/14/72-CS-I.—The President is pleased to permit Shri A. B. Ramachandran, a permit Selection Grade Officer of the Central secretariat Service who was working as a Deputy secretary in the Ministry of Defence to retire from Government service with effect from the after-noon of 5th December, 1972.

The 21st December 1972

No. 4/40/72-CSI.—The President is pleased to appoint Shri K. C. Sodhia, a permanent Officer of Grade I of the Central Secretariat Service, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), to officiate in the Selection Grade of the Service with effect from the forenoon of 10th October, 1972, until further orders.

No. 4/100/72-CS.I.—The President is pleased to appoint Shri N. A. Subramaney lyer, a permanent Section Officer of the Central Secretariat Service (of the cadre of Department of Mines), to officiate in Grade I of the Service with effect from the intension of 2nd November, 1972 until further orders.

2. This Department's Notification No. 4/100/72-CS I

2. This Department's Notification No. 4/100/72-CS-I. dated the 29-11-1972 is hereby cancelled.

No. F.4/59/72-CS(1).—The President is pleased to permit Shri P. G. Salvi, a permanent Grade I officer of the Central Secretariat Service who was working as an Under Secretary in the Ministry of Foreign Trade to retire from Government service with effect from the forenoon of 29th September, 1972 under rule 56(k) of the Fundamental Rules.

M. K. VASUDEVAN, Under Secv.

New Delhi, the 16th December 1972

No. 15/28/72-Estt(E),—Under Rule 8(a)(1) of the Indian Economic Service Rules, 1961, the President is pleased to appoint Shri Sukhram Singh Gill who competed successfully at the Indian Economic Service/Indian Statistical Service (Released Emergency Commission/Short Service Commissioned Officers) examination held in January, 1972, to Grade IV of the Indian Economic Service on probation for two years with effect from the forenoon of 13th November, 1972.

B. L. MATHURIA, Under Secy.

New Delhi-1, the 19th December 1972

No. 12/38/71-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint S/Shri Kulwant Singh and Rajinder Singh, members of the State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service on probation and to allocate them to the cadro of Haryana under sub-rule(1) of rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

New Delhi-1, the 20th December 1972

No. 16/24/72-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Utta Pradesh and Gujarat, the Central Government hereby accords—

- (1) ex-post-facto approval to the extension of deputation of Shri S. N. Shukla, a member of the Indian Administrative Service borne on the cadre of Gujatat, for service under the Government of Uttar Pradesh, from the 12th December, 1972 to the date of issue of this notification; and
- (2) approval to the continued deputation of Shri S. N. Shukla for service under the Government of Uttar Pradesh from the date of issue of this notification upto the 11th December, 1973.

By order and in the name of the President.

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

New Delhi-110001, the 19th December 1972

No. F.32/95/72-Trg.—The President is pleased to appoint Shri C. Gurumurthy as Prof. of Law, Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie with effect from 21st December, 1972 to 26th January, 1974.

SHANTA RAO, Under Secy.

New Delhi-110001, the December 1972

No. 11/1/72-AIS(III).—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, Shri S. N. Roy, a member of the Indian Administrative Service borns on the State Cadro of West Bengal, with offect from the 15th November, 1972.

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th December 1972

No. 402/26/72-AVD-IV.—The President is pleased to appoint Shri Y. R. Sachdeva, an officer of the Indian Customs and Central Excise Service till recently Assistant Collector of Central Excise in the Delhi Customs and Central Excise Collectorate, as Assistant Collector on ad hoc basis in the Headquarters office of the Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi with effect from 6th December, 1972 (F/N), and until further orders.

K. L. RAMACHANDRAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 21st December 1972

No. 20/G/182/Ad...—The President is pleased to appoint Shri K. Raghunathan (ML&CS) as Deputy Secretary in the Department of Personnel (Cabinet Secretariat) with effect from the forenoon of 11th December, 1972 until further orders.

A. S. GUPTA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 15th December 1972

No. 2(19)/72-Adm.—The President is pleased to appoint Dr. S. G. Patil as Senior Technical Officer in the Department of Electronics, in the Office of the Electronics Commission, Bombay, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16th November, 1972, on contract for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

K. B. IYER, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th December 1972

No. A. 12025/2/71-Adm.I.—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 4th January, 1972, the President is pleased to extend the term of appoint ment of Shri J. N. Tewari, a Grade I Officer of the I.S.S. as Chief of Division in the Planning Commission in a temporary capacity for a further period of six months with effect from the afternoon of the 18th June, 1972.

G. N. GUPTA, Dy. Secy.

New Delhi, the 11th December 1972

No. F.5(653)/72-ADM.I.—Shri S. C. Ghosh, a Grade II Officer of the Indian Economic Service and Joint Director in the Planning Commission, expired, while on leave, on the 23rd November, 1972.

The 12th December 1972

No. A.12025/40/72-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri K. Jayachandran, an officiating Grade III Officer of the Indian Statistical Service and Senior Research Officer in the Planning Commission, as Joint Director in the Commission in a temporary capacity on his appointment in Grade II of the Indian Statistical Service with effect from the 28th October, 1972 and until further orders.

The 14th December 1972

No. F.6(224)/II/Adm.J.—Shri A. M. K. Swami, a permanent Grade I Officer of the Central Secretariat Service officiating in the Selection Grade of the Service and holding the post of Deputy Secretary to the Govt of India in the Planning Commission reverted to the post of Under Secretary, Planning Commission, with effect from 8-12-1972 (A.N.).

The 18th December 1972

No. F.14(13)/68-CM.—The President is pleased to appoint Shri A. B. Chatterjee, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Planning Commission to officiate in the Section Officer's Grade of the CSS Cadre of the Planning Commission, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of the 4th December, 1972 and until further orders.

No. F.14(13)/68-CM.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Bhamagar, a permanent Grade IV Officer of the Central Secretariat Service cadre of the Planning Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the CSS Cadre of the Planning Commission, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of the 1st December, 1972 and until further orders.

N. K. AGGARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 13th December 1972

No. F.45(87)/68-Adm.I.(LD).—Shri P. V. Pasupathy a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secreta iat Service in the Law Ministry's cadre officiating in Grade I of that service and working as Under Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law, is granted earned leave for two days on the 7th and 8th November, 1972 It is certified that on the expiry of the leave, Shri Pasupathy was expected to return to duty in the same station from which he proceeded on leave.

- 2. The President is pleased to appoint Shri P. V. Pasupathy, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service in the Law Ministry's cadre to officiate in Grade I of that service from the 9th November, 1972 to the 31st December, 1972 (both days inclusive).
- 3. The President is also pleased to appoint Shri P. V. Pasupathy as Under Scoretary in the Legislative Department, Ministry of Law, for the aforesaid period.

No. A.32013/5/71-Adm.I(LD).—Shri H. C. Vermani a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service in the Law Ministry's cadre, officiating in Grade I of that Service and working as Under Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice, is granted earned leave for 2 days on the 7th and 8th November, 1972 It is certified that on the expiry of the leave, Shri Vormani was expected to return to duty at the same station from which he proceeded on leave.

- 2. The President is pleased to appoint Shri H. C. Vermani, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service in the Law Ministry's cadre to officiate in Grade 1 of that Service from the 9th November, 1972 to the 31st December, 1972 (both days inclusive).
- 3. The President is also pleased to appoint Shri Vermani as Under Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for the aforesaid period.

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

(Department of Justice)

New Delhi the 20th December 1972

No. 17/4/72-Jus.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 217 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Justice Sohan Nath Modl, Additional Judge of the Rajasthan High Court, to be a Judge of the Rajasthan High Court with effect from the date on which he assumes charge of his office.

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 6th December 1972

No A.31014/2/72-Special Cell.—The President is pleased to appoint Shri Kishan Lal, a permanent Grade IV officer of the Central Secretariat Service and officiating in the Section Officers' Grade of that Service substantively to the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service in the cadre of the Ministry of Law and Justice with effect from the 7th October, 1972.

N. D. SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 14th December 1972

G.S.R. No. 16/82/72-pers. II—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan have revised the strength and composition of the Indian Police Service Cadre of Rajasthan and hereby direct that in the Schedule to the Indian Police Service (Fixation

- of Cadre strength) Regulations, 1955, for the entries relating to Rajasthan the following shall be substituted, as under:—
 - (i) The amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette of India.
 - (ii) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) fifth Amendment Regulations.

Amendment to the Fixation of Cadre Strength

///	municing to the Tixation of Cause Briefly.	•	
1.	Senior posts under State Government		48
	Inspector General of Police	1	
	Additional Inspector General of		
	Police	1	
	Deputy Inspectors General of Police	9	
	Assistant Inspectors General of Police	2	
	Superintendents of Police	26	
	Superintendent of Police C.I.D.	20	
	(Crime)	i	
	Superintendent of Police C.I.D.		
	(Intelligence)	1	
	Superintendent of Police C.J.D.	1	
	(S.B.) (Jodhpur Zone) Superintendent of Police Railways	1	
	Superintendent of Police Ranways . Superintendent of Police Anti Cor-	1	
	ruption Br	1	
	Assistant Inspector General of Police		
	Traffic	1	
	Principal, Police Training School .	1	
,	Commandants, R.A.C.	2	
		48	
7	Central Deputation Reserve @ 40%		
٠.	of 1 above	19	
1	Posts to be filled by promotion and		
٠.	Selection under Rule 8 of the IAS/IPS		
	(Recruitment Rules, 1954, @ 25% of	1.7	
	1 & 2 above)	17	
4.	Posts to be filled by direct recruitment	50	
_	1 plus 2 minus 3 above.	50	
5.	Deputation Reserve @ 20% of 4 above	10	
,			
	Leave Reserve @ 5% of 4 above .	3	
	Junior posts @ 20.60% of 4 above	10	
8.	Training Reserve @ 10.59% of 4	-	
	Bioset Bussites and Boots	5	
	Direct Recruitment Posts	78	
	Promotion Posts	17	
	Total authorised strength	• 95	

G.S.R. No. 16/45/72-pers. II--In pursuance of sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, have revised the strength and composition of the Indian Police Service Cadre of Andhra Pradesh and hereby direct that in the schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre strength Regulations, 1955, for the entries relating to Andhra Pradesh State, the following shall be substituted as under:—

- 1. The amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette of India.
- 2. These regulations may be called the Indian Police Service, (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 1972.

Amendment to the Fixation of Cadre Strength

Senior posts under State Government Inspector General of Police	63
Director, Anti-Corruption Bureau (Addl. I.G.P.)	
Deputy Inspector General of Police, A.P.S.P. Btns, H. Guards & Welfare	
Deputy Inspector General of Police (Adms)	
Commissioner of Police 1	

Deputy Inspector Generals of Police (Ranges)	5
Deputy Inspector General of Police (Intelligence)	1
Deputy Inspector General of Police Railways, Crime & Training	1
Asstt. Inspector General of Police	1
Commdt. S.A.R.C.P.L., Amberpet, Hyderabad	1
Commdts. A.P. Special Police Btn	2
Superintendents of Police (Districts)	21
Superintendents of Police (Railways)	2
Superintendent of Police, Spl. Branch, C.I.D.	1
Superintendent of Police, Crime Branch (C.I.D.)	1
Superintendent of Police, Vigilance Cell, Civil Supplies	1
Joint Director, Anti-Corruption Bureau	1
Principal, Police Training College .	1
Deputy Commissioners of Poice (Law & Order) I & II City, Crimes City, S.B. City, Traffic City and Licensing City Armed Police	6
Additional Superintendent of Police in the S.B., C.I.D., C.B., C.I.D., and in districts of Visakhapatnam South, East Godavari, Guntur, Kurnool, Karimnagar, Warangal, Khammam, Visakhapatnam North, Nellor, Chittoor and Krishna	13
	63
2. Central Deputation Reserve @40% of 1 above	25
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 9 of the IPS (Rectt) Rules, 1954, @ 25% of 1 and 2 above	22
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above.	66
5. Deputation Reserve @ 20% of 4 above .	13
6. Leave Reserve @ 5% of 4 above	3
7. Junior posts 20.60% of 4 above .	13
8. Training Reserve @ 10.59% of 4 above.	6
Direct Recruitment posts	101
Promotion Posts	22
• • • • •	
Total Authorised strength	123

The 18th December 1972

No. 24/19/72-Pers.II.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the State Cadre of Uttar Pradesh, with effect from the dates shown against each:—

Name and Date of Confirmation

- 1. Shri Ram Niwas Sharma-4-7-1971(FN).
- 2. Shri Jangi Singh-5-7-1971(FN).
- 3. Shri Himanshu Kumar—28-7-1971(FN).
- 2. This Ministry's Notification of even number dated the 29th September, 1972, is hereby cancelled.

P. P. KHANNA, Dir. (Police)

New Delhi-110001, the 19th December 1972

No. A.35014/103/71-Ad.I(A).—The Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs hereby appoints Shri A. N. Sikka a permanent Section Officer of the Cadre of the Ministry of Home Affairs as Junior Analyst on ad hoc basis in the scale of Rs. 400-25-500-30-590-B-30-800-BB-30-830-35-900 with effect from 19th October. 1972 to 31st March, 1973 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier

No. A.32014/12/72-Ad.I(A)—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the C.S.S. Cadre of the Ministry of Home Affairs to officiate in the Section Officer's Grade of the service on purely temporary basis for the periods indicated against each in the Ministry of Home Affairs:—

S. Name of No.	f the	Offic	ær	Period for which appointed
S/Shri				
1. P.M. Agarwal			22-11-72 to	5-1-73
2. K.L. Wadhawan		-	23-11-72 to	5-1- 73
3. N.K. Jain .			22-11-72 to	5-1-73
4. D.L. Jhanjee	_	-	22-11-72 to	5-1-73
5. H.V. Daryani			5-12-72 to	5-1-73

No. A.32014/2/72-AdI(A).—The President is pleased to appoint Shri C. A. Nadungadi a permanent Assistant of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Home Affairs to the Section Officers' Grade of the Service with effect from the forenoon of 18th November 1972 to 31st December, 1972.

2. The President is also pleased to appoint Shri C. A. Nedungadi as Section Officer in the Department of Personnel for the aforesaid period.

K. RAMAMURTHY, Under Secv.

New Delhi-110001, the 19th December 1972

No. A.32013/20/72-Ad.I(A).—The President is pleased to appoint Shri B. Shukla as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs on re-employment terms with effect from the 26th November, 1972 to 25th January, 1973 (both days inclusive).

R. A. S. MANI, Dy. Secy.

(Department of Administrative Reforms)

New Delhi, the 14th December 1972

No. A-12026/3/70-AR(A).—The President is pleased to appoint Shri A. L. Rajendran, a permanent Section Officer of the C.S.S. Cadre of the Works, Housing and Urban Development and Asstr. Director in the Directorate of Estates, to officiate as Senior Analyst in the Department of Administrative Reforms, with effect from the forenoon of 1st December, 1972, until further orders.

M. L. SAMPATHKUMARAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd December 1972

No. 121/PB/72.—Shri M. K. Tandon, officiating Officer of the integrated grades II & IIJ of the General Cadre of the IFS(B) assumed charge of the post of the Charge d' Affairs (a.i.) in the E/I. Mogadiscio in the forenoon of the 23rd October 1972.

S. J. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 4th December 1972

No. 480-PAII/72.—Consequent upon his attaining the age of superannumion Shri P. K. Kapur an officer of the Grade I of the Indian Foreign Service (Branch 'B') relinquished charge of the office of the First Secretary in the Embassy of India. Sofia, in the forenoon of the 18th November, 1972.

The 12th December 1972

No. 172-PAI/12.....Shrimati K. Rukmini Menon relinquished charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of External Affairs on 29-11-72 (F/N).

No. 173/PA-I/72.—Shri Y. K. Puri, relinquished charge of the post of High Commissioner of India, Colombo, in the afternoon of the 29th November, 1972, on transfer as Ambassador of India Bonn.

The 13th December 1972

No. 174-PAI/72—On appointment to Grade I of IFS, Shri S. K. Roy. Ambassador of India, Mexico relinquished charge of the post of Ambassador (Grade II IFS) on the afternoon of the 23rd September, 1972, and assumed charge of the post of Ambassador (Grade I IFS) with effect from the forenoon of 24th September, 1972.

No. 175-PA-I/72.—Shri V. H. Coelho, relinquished charge of the post of Ambassador of India to Japan, Tokyo, on the afternoon of the 26th November, 1972, on transfer as High Commissioner of India, Colombo.

The 14th December 1972

No. 176-PAI/72.—On leave-cum-transfer to Embassy of India, Moscow, Shri P. L. Sinai, Director, Ministry of External Affairs, New Delhi relinquished charge of the post of Director on the forenoon of the 6th December, 1972.

The 16th December 1972

No. 177-PAI/72.—On leave-cum-transfer to Embassy of India, Sofia. Shri K. P. Lukose, relinquished charge of the post of Joint Secretary, Ministry of External Affairs, New Delhi, on the afternoon of the 8th December, 1972.

The 18th December 1972

No. 178/PAI/72.—Dr. Gopal Singh relinquished charge of the post of Ambassador of India in Bulgaria, Sofia on the afternoon of the 17th November, 1972, on transfer as High Commissioner of India to Guyana, Georgetown.

The 19th December 1972

No. 179/PAI/72.—On transfer from Embassy of India. Khartoum, Shri K. L. Dalal. assumed charge of the post of Joint Secretary, in the Ministry of External Affairs, New Delhi, on the forenoon of the 11th December, 1972.

No. 180-PAI/72.—On transfer Shri K. L. Dalal, relinquished charge of the post of Ambassador of India in Sudan. Khartoum on the afternoon of the 30th November, 1972.

The 20th December 1972

No. 181-PAI/72.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Mehta, an officer of Grade III of the Indian Foreign Service, to officiate in Grade II of the Service with effect from 3-11-72 (FN) until further orders.

No. 182/PAI/72.—The President is pleased to appoint Shri S Krishnamurti, an officer of Grade II of the Indian Foreign Service, to officiate in Grade I of the Service with effect from 3-11-1972 (FN) until further orders.

No. 183-PAI/72.—On appointment to Grade II of IFS, Shri G. J. Malik. Ambassador of India, Santiago, relinquished charge of the post of Ambassador (Grade III IFS) on the Iorenoon of the 24th September, 1972, and assumed charge of the post of Ambassador (Grade II IFS) with effect from the same date.

INDRAJIT SINGH, Under Secy. (PA)

New Delhi, the 6th December 1972

No. CP&EO/11/72.—Shri B. K. Gogoi, an officer of the Integrated Grades II & III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' is appointed, on deputation, to officiate as Assistant Passport Officer. Regional Passport & Emigration Office, Bombay, with effect from the afternoon of 21st November, 1972.

T. V. RAMAKRISHNA RAO, Under Secy. (PVA)

New Delhi, the 12th December 1972

No. 122/PB/72.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri Sushil Chandra, an officiating officer of the integrated Grades II & III of the General Cadre of IFS(B) telinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi on the afternoon of 24th November, 1972.

K. R. SUD, Under Secy-

New Delhil, the 16th December 1972

No. 25-PT.III/72.—The President of India is pleased to confirm the provisional re-organisation of the appointment of Mr Sven Adolf Palm, Honorary Consul of Denmark in Calcutta with effect from 29th August, 1972 announced in the Ministry of External Affairs Notification No. 19-PT.III/72, dated the 10th November, 1972.

L. T. PUDAITE, Dy. Chief of Protocol (Spl).

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 11th December 1972

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

No. 134.—Shri S. K. Mital a permanent Grade I officer of the Central Secretariat Service and posted as Under Secretary, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), has retired from Government Service with effect from the afternoon of 9th December, 1972.

The 12th December 1972

No. 135.—The President is pleased to appoint Shri B. R. Sharma, a permanent Section Officer of the C. S. S. Cadre of the Ministry of Finance and officiating in Grade I of the Service, as Under Secretary. Central Board of Excise and Customs and ex-officio Under Secretary. Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) with effect from 26-10-72 forenoon and until further orders.

The 13th December 1972

No. 26F. No. 31/4/72-Ad.IA.—The President is pleased to extend the appointment of Shri M. M. Sharma, a permanent Section Officer of the C.S.S. in the ex-cadre post of the Administrative Officer in the Office of the Controller of insurance. Simla for a further period from 1st July, 1972 to 31st December. 1972.

S. R. SHARMA, Under Secv.

New Delhi, the 18th December 1972

No. 2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 492 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), the Central Government hereby appoints Shri Dharam Pal Sharma, Superintendent of Central Excise and Shri Avtar Singh. Inspector of Central Excise, Chandigarh Central Excise Collectorate, as Public Prosecutors to conduct all cases on behalf of the Central Government in all courts in the States of Punjah Harvana. Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and in the Union territory of Chandigarh, arising out of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968) the Forcian Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947) and other allied Acts, including all rules, regulations, notifications and orders made or issued thereunder.

The Notification issued vide F. No. 15(23)64-Ad IV-A. dated the 8th April. 1968, appointing Shri Didar Singh and Shri V. M. Verma, as Public Prosecutors, is hereby cancelled.

[F. No. 15(42)/71-Ad. V-A]

R. V. SUKHATANKAR, Dv. Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 12th December 1972

No. A.32014/1/72-E.I.(A)—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the Assistants' Grade of CSS Cadre of the Ministry of Finance, to officiate as Section Officers in the Department of Expenditure (Civil) for the period noted against each:—

S. Name No.		Period
1. Shri M.S. Lal		1-12-1972 to 31-12-1972
2. Shri E. Sankaran .		1-12-1972 to 16-12-1972
3. Shri S.R. Chakravarti		1-12-1972 to 31-12-1972
4. Shri B.N. Joshi .	,	6-12-1972 to 31-12-1972

The 15th December 1972

 No_* , PFG(1106)-EJ(A)/72.—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of the Central Secretariat Service (of the cadre of the Ministry of Finance) and officiating in Grade I of the Service as Under Secretaries in the Ministry of Finance, Department of Expenditure with effect from the forenoon of the 26th October, 1972 until further orders,

- 1. Shri D. C. Sen Gupta
- 2. Shri G. K. Punjabi.

The 16th December 1972

No. PFG(1106)-Ed(A)/72.—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of the Central Secretariat Service (cadre of the Ministry of Finance) to officiate as Under Secretaries in the Ministry of Finance. Department of Expenditure (Civil) with effect from the forenoon of the dates indicated against each until further orders.

1.Shri L. K. Rathod-30th October, 1972.

2. Shri S. Jayaraman-13th November, 1972.

The 18th December 1972

CORRIGENDUM

No. A. 32013/1/70-E.I. (B).—In the English version of Ministry of Finance (Department of Expenditure) Notification No. A. 32013/1/70-E.I.(B), dated the 26th September, 1972 under the column period' against Shri A. K. Guha for '5th July, 1972 to 3rd December, 1972" please read '5th July, 1972 to 31st December, 1972'.

R. L. SUD, Under Secy.

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 21st October 1972

No. PFG(210)-Admn.II.—The President is pleased to grant an extension of service from 19th September, 1972 to 31st October, 1973 or until the work of the Finance Commission is completed if this will be later, to Shri A. G. Krishnan, Deputy Secretary of this Department now on deputation to the Sixth Finance Commission, Ministry of Finance who was due to retire from Government service on superannuation on 19th September, 1972 (forenoon).

No. A. 19014/7/72-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri M. L. Bhasin, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the C.S.S. to officiate in Grade I of the Service for 39 days with effect from the 2nd September, 1972 to 10th October, 1972 (afternoon).

2. This Department's Notification No. A. 19014/7/72-Admn.II, dated 7th October, 1972 is hereby treated as cancelled,

The 23rd November 1972

No. A.19013/5/72-Admn.II.—On transfer from the Planing Commission. New Delhi, the President is pleased to appoint Shri M. L. Kapur (an Officer of the Indian Economic Service) as Assistant Economic Adviser with effect from the forenoon of 17th November, 1972 in the Department of Economic Affairs until further orders, 3—492 GI/72

The 13th December 1972

No. A.35018/6/71-Ad.1.—The President has been pleased to appoint Shri H C. Jain, Assistant Superintendent, on deputation to this Department from the Office of the A.G.C.W.&N'. New Delhi as Section Officer (excluded) in the Budget Division of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the 8-12-72 (Forenoon) until further orders.

K. RADHAKRISHNAN, Under Secy.

New Delhi, the 14th December 1972

No. F.5(22)72-Cy.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Lalchandani, now officiating as Deputy Master, in the India Security Press Nasik Road, in a substantive capacity in the post of Assistant Master in the same Press, with effect from 20-4-1972.

No. F.5(22)72-Cy.—The President is pleased to appoint Shri N. P. Sarnaik, now officiating as Deputy General Manager in the India Security Press, Nasik Road, in a substantive capacity in the post of Deputy Master in the same Press with effect from 20-4-72.

No. F.5(22)72-Cy.—The President is pleased to appoint Shri G. D. Dhingra, now officiating as Deputy Master in the India Security Press Nasik Road, in a substantive capacity in the post of Assistant Master in the same Press, with effect from 20-4-1972.

No. F.5(22)72-Cy.—The President is pleased to appoint Shri K S. A. Charv, now officiating as Deputy Master, in the India Security Press, Nasik Road in a substantive capacity in the post of Assistant Master in the same Press, with effect from 3-2-1969.

No. F.5(22)72-Cy.—The President is pleased to appoint Shri M. V. Char, on deputation as Technical Officer in the Bank Note Press, Dewas, in a substantive capacity in the post of Assistant Master in the India Security Press, Nasik Road, with effect from 20-4-72.

No. F.5(22/72-Cy.—The President is pleased to appoint Shri P. M. Rau, now officiating as General Manager in the Security Paper Mill, Hoshangabad, in a substantive capacity in the post of Deputy Master in the India Security Press, Nasik Road, with effect from 3-2-69.

M. K. VENKATARAMAN, Under Secy.

New Delh, the 21st December 1972

No. C.11012/1/72-Admn.III.—The President is pleased to appoint Shri G. V. Ramakrishna, I.A.S., as Minister (Economic) in the Embassy of India, Washington with effect from the afternoon of the 1st December, 1972, until further orders

S. L. DUTT, Under Secy.

(Department of Banking)

New Delhi, the 6th December 1972

No. A.32014/v/Admn/72.—The President is pleased to extend the appointment of Shri T. K. Lakshmikantan permanent Officer of the Assistant's Grade of Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Finance to officiate as Section Officer in the Ministry of Finance, Department of Banking for the period from 1-11-1972 to 30-11-1972.

T. R. VISWANATHAN, Under Secy.

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, the 18th December 1972

No. A.12023/42/72-Adm.—The President is pleased to appoint Shri N. K. Chakrabarti, an officer of the Civil Engineering Department of the Central Railway and officiating Executive Engineer in the Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta as Deputy Adviser (Construction) in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance with effect from the 7th December, 1972 F/N until further orders.

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay-1, the 30th November 1972

No. 2/5(7)/71-(P).—Consequent on the acceptance of his resignation from service Shri T. Sarangan, a permanent Foreman in Bhabha Atomic Research Centre serving as Scientific Officer/Engineer-Grade SC1 in Heavy Water Project, Kota of this Department relinquished charge of his post on the afternoon of September 20, 1972.

S. K. CHOUDHARY, Under Secy.

Bombay-1, the 12th December 1972

No. 7(70)/72-Adm.—The Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy is pleased to appoint Smt. A. T. Mathews, Assistant in this Department to officiate as Section Officer in this Department with effect from the forenoon of December 11, 1972 until further orders vice Shri Jagdish Lal. Section Officer, proceeded on leave.

D. C. CHOPRA, Under Secy. for Jt. Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 2nd December 1972

No. 127/72[A/12023/17/72-E.I.].—Shri T. K. Ganguly relinquished charge of the post of Research Officer (a post included in Grade IV of the Indian Economic Service) with effect from the forenoon of the 1st December 1972.

2. The President is pleased to appoint Shri T. K. Ganguly, Senior Investigator in this Ministry to officiate as Research Officer in the scale of Rs. 400—900 in the T. P Division of this Ministry on an ad-hoc basis for a period of 3 months with effect from the forenon of the 1st December 1972.

No. 128/72[A/12023/17/72-E.I.].—Shri L. K. Sarkar relinquished charge of the post of Research Officer (Rs. 400—900) in the T. P. Division of this Ministry with effect from the forenoon of the 1st December 1972.

2. The President is pleased to appoint Shri L. K. Sarkar, Senior Investigator in the Ministry of Foreign Trade, to officiate as Research Officer (a post included in Grade IV of the Indian Economic Service) in the scale of Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950, in this Ministry on ad-hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of the 1st December 1972.

VED PARKASH, Under Secy.

New Delhi, the 7th December 1972

No. 14/72[A-32013/1/72-HC].—The President is pleased to appoint Shri R. K. Bhagotra, a permanent Junior Field Officer in the All India Handicrafts Board, New Delhi as Statistical Officer, a post included in Grade IV of the Indian Statistical Service, in the same office with effect from 15th May, 1972 to 14th June, 1972 on an ad-hoc basis vice Shri S. K. Bhanot on leave.

2. Shri R. K Bhagotra is also appointed as Assistant Director in the All India Handicrafts Board with effect from 24th July, 1972 to 21st September, 1972 on an ad-hoc basis vice Miss Sita Kirpal on leave.

T. C. A. SRINIVASAN, Dy. Dir.

(Third Asian International Trade Fair)

New Delhi, the 14th September 1972

No. 26/72[3-Exh(8)AF/71-Admn].—The President is pleased to appoint Shri G. G. Karna, Assistant Director (Coordination & Finance) in the Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity, Minstry of Foreign Trade, as Assistant Director in the Third Asian International Trade Fair, Ministry of Foreign Trade in an officiating capacity with effect from the 18th June 1972 (forenoon) to 31st December, 1972, on purely temporary and ad-hoc basis.

The 27th November 1972

No. 31/72[3-Exh(8) AF/71-Admn].—The President is pleased to appoint Shri V. B. Chitalkar, Store Officer, in the Directorate of Exhibitions & Commercial Publicity, Ministry of Foreign Trade as Assistant Director in the Third Asian International Trade Fair, Ministry of Foreign Trade, in an officiating capacity, with effect from the 30th October, 1972 (Forenoon) to 31st December, 1972 (A.N.), on purely temporary and ad hoc basis.

PARMATAM SINGH, Under Secy.

(All India Handicrafts Board)

New Delhi, the 14th December 1972

CORRIGENDUM

No. 5/72 [HB-AD-44(28)/72]—The following amendments may be made in All India Handicrafts Board Gazette Notification No. 3/7[HB-AD-44(28)/72] dated 16-9-72:—
Para 1(i)

Shri R. K. Bhagotra's appointment as Assistant Development Officer is w.e.f., 22-9-72 and until further orders against the post of Assistant Development Officer sanctioned for the Third Asian International Trade Fair, 1972, vide A.I.H.B. orders No. P.462/HB/Exh(I)/71, dated 19-8-72 and 17-10-72.

Para 1(ii)

Shri G. K. Bhatnagar's appointment as Assistant Development Officer is w.e.f. 19-8-72 and until further orders against the post sanctioned for the Third Asian International Trade Fair, 1972 vide AIHB Order No. P.462/HB/Exh.(I)/71, dated 19-8-72.

D. N. SARAF, Development Commissioner for Handicrafts

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 7th December 1972

No. A-11013/2/70-Estt.—In continuation of this Department Notification of even No. dated 4-8-72, the term of appointment of Dr. P. Dayal as Senior Industrial Adviser in the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) is extended for a further period from 23-11-72 to 22-2-73 or until further orders, whichever is earlier.

The 12th December 1972

No. A-12022/8/72-Estt.—Shri N. Krishnan, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance (Department of Expenditure) (retired), who was re-employed as Officer on Special Duty in the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) during the period from 16-2-72 to 15-9-72, relinquished charge of the post of Officer on Special Duty with effect from the afternoon of 15th September, 1972.

No. A-12022/7/70-Estt.—The President is pleased to allow Shri S. Kujur, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service to officiate in the Section Officers' Grade of the service and as Section Officer in the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) on a purely temporary basis for the period from 15_711-72 to 30-12-72.

V. K. HARURAY, Under Secv.

(Department of Steel)

New Delhi-110011, the 12th December 1972 (

No. 11(7)/72-Admn.I(.)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Ray Chaudhuri, a permanent Section Officer of the CSS cadre of Ministry of Iron and Steel to officiate in Grade 1 of that Service for a further period from 5-11-1972 to 24-11-72.

2. The President is also pleased to appoint Shri A. K. Ray Chaudhurl to officiate as Under Secretary in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) for the aforesaid period.

CHARANJIT LAL, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th October 1972

No. 15/Salt/72.—In supersession of this Ministry Notification No. 8/72/Salt dated 26-8-1972, the President is pleased to appoint Shri D. V. Kirtikar, Assistant Salt Commissioner, as Deputy Salt Commissioner, Jaipur with effect from 13-7-1972 (F.N.) until further orders.

(File No. A-19011/2/72-Salt)

I. V. CHUNKATH, Dy. Secy.

New Delhi, the 27th October 1972

No. 12/Salt/72—Shri E. A. George, Deputy Superintendent of Salt in the Salt Deptt. has been appointed to officiate as Superintendent of Salt, Government Salt Golahs, Howrah, with effect from 19-10-1971 (F.N.) until further orders.

2. Notification No. 5/Salt/72 dated 16-8-72 is hereby cancelled.

(File No. A-19011/2/71-Salt)

No. 14/Salt/72.—Shri H. N. Banerjee, Superintendent of Salt, in the Salt Deptt, has been appointed to officiate as Assistant Salt Commissioner, Tuticorin, with effect from 23rd October, 1971 (F.N.), until further orders.

2. Notification No. 4/Salt/72, dated 16th August, 1972 is hereby cancelled.

(File No. A-19011/3/71-Salt)

No. 13/Salt/72.—Shri K. Banerjee, Deputy Superintendent of Salt in the Salt Deptt. has been appointed to officiate as Superintendent of Salt. Naupada (Madras Salt Region) w.e.f. 21st March 1972 (F.N.) until further orders.

2. Notification No. 3/Salt/72, dated 16th August 1972 is hereby cancelled.

(File No. A-19012/4/72-Salt)

No. 11/Salt/72.—Shri K. L. Malik, Superintendent (Min.) in the Salt Department has been appointed to officiate as Accounts Officer with effect from 5th May 1972 (F.N.) until further orders.

2. Notification No. 6/Salt/72, dated 29th August 1972 is hereby cancelled.

(File No. A-20011/2/72-Salt)

No. 10/Salt/72.—Shri K. D. Khade, Deputy Superintendent of Salt, in the Salt Department has been appointed to officiate as Superintendent of Salt, Uran with effect from 2nd May 1972 (F.N.), until further orders.

2. Notification No. 7/Salt/72 dated 30th August, 1972 is hereby cancelled.

(File No. A-19012/12/72-Salt)

I. V. CHUNKATH, Dy. Secy. for Joint Secy.

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th October 1972

No. A 12023/6/71-E.I.—In continuation of this Department's Notification of even number dated the 4th September, 1972, the President is pleased to allow Shri S. Krishnamoorthy, a permanent Grade II Stenographer of the Central Secretariat Stenographer's Service to continue to officiate as Grade I Stenographer (Senior Personal Assistant) in the Department of Industrial Development up to and inclusive of the 8th December, 1972.

The 31st October 1972

No. A-12023/3/72-E.I.—The President is pleased to allow the following officers permanent in Grade IV of the Central Secretariate Service to continue to officiate as Section Officers in the Department/Office for the period shown against each:—

Sl. No.	Name	From	То	Name of the Deptt./ Office
		(14-10-72	23-10-72	Deptt. of
1. Shri Lajpat Rai Khera		24-10-72	8-12-72	Deptt, of I.D. D.G.T.D.
2, Sh	ri M. C. Chatterjee	. 31-10-72	12-12-72	Deptt. of I.D.

The 2nd November 1972

No. A 12022/2/72-E.I.—The President is pleased to allow Shri B. K. Varma, a permanent Grade I Officer of the Central Secretariat Service to continue to officiate in Selection Grade of the Service for a further period of 44 days with effect from 17th July, 1972 to 29th August, 1972.

2. The President is also pleased to appoint Shri B. K. Varma to officiate as Deputy Secretary in the Department of Industrial Development for the aforesaid period.

The 9th November 1972

No. A-45011/1/72-E.I.—The President is pleased to appoint-Shri R. P. Puri, a permanent Assistant borne on the Central Sceretariat Service cadre of Ministry of Home Affairs, to officiate as Section Officer in the Department of Industrial Development with effect from the 1st November. 1972 (Forenoon) and until further orders.

No. A-12023/6/72-E.I.(i).—The President is pleased to appoint Shri S. Guhan, I.A.S. Special Assistant to Minister of Planning, to officiate as Special Assistant to the Minister of Industrial Development and Science and Technology with effect from the forenoon of 24th July, 1972, until further orders

No. A-12023/6/72-E.I.(ii).—The President is pleased to appoint Shri P. B. Krishnaswamy, IAS, Private Secretary to the Minister of Planning, to officiate as Private Secretary to the Minister of Industrial Development and Science and Technology, with effect from the forenoon of 24th July, 1972, until further orders.

The 15th November 1972

No. A.12023/3/72-E.I.—The President is pleased to allow the following officers permanent in Grade IV of the Central Secretariat Service to continue to officiate as Section Officers in the Department/Office for the period shown against each:—

Sl. No.	Name	From	То	Name of the Department/ Office
S/S	Shri			
1. ŠI	niv Kumar	5-11-72	31-12-72	Economic Adviser's Office.
2. K	.R. Ahuja	1-11-72	31-12-72	Deptt. of I.D.
3. S.	K. Bhardwaj	1-11-72	31-12-72	-do-
4. I.	D. Taldar	1-11-72	31-12-72	D.G.T.D.
5. R	.R. Chari	1-11-72	30-11-72	-do-
6. R	. N. Singh	2-11-72	30-11-72	Deptt. of I.D.
7. N	I.C. Garg	1-11-72 10-11-72 (AN)	9-11-72 30-11 - 72	} DC(SSI)
8. S.	D. Gupta	1-11-72	30-11-72	-do-
9. H	I. K. Sharma	1-11-72 9-11-72	· 7-11-72 30-11-72	} Deptt of LD.

2. The President is also pleased to appoint Shri S.B. Sen, an officer permanent in Grade IV of the Central Secretariat Service to officiate as Section Officer in the Department of Industrial Development with effect from the 21st November, 1972 to the 5th January, 1973.

The 18th December 1972

No. 1(8)/67-EIV.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated the 12th October, 1972, the President is pleased to allow Shri T. Ramasubramanian to continue as Development Officer (Engineering) in an officiating capacity in the Directorate General of Technical Development for a further period of three months with effect from the 1st November, 1972.

G. RAMANATHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 13th December 1972

CORRIGENDUM

No. PFR(50)-CLA/60.—For the name "Shri J. S. Joneja" occurring in line 4 of para 3 of this Department's Notification at even No. dated 17th August, 1972 may please read as "Shri V. S. Joneja".

The 19th December 1972

No. PFG(254)-CLA/69.—The President is pleased to appoint Shri Shadi Lal, a permanent Grade IV Officer of the Indian Economic Service and officiale as Senior Research Officer in the Department of Company Affairs to officiate as Joint Director in the Department of Company Affairs for a period of 53 days from the 21st November, 1972 to 12th January, 1973.

The 20th December 1972

No. PFR(75)-CLA/67.—Shri B. S. Bhargava, Assistant Registrar of Companies, Delhi & Haryana was granted earned leave for 13 days with effect from 9th November, 1972 to 21st November, 1972 with permission to prefix 5th, 6th, 7th and 8th November, 1972 being holidays to the leave.

In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Company Affairs and Insurance) Notification G.S.R. 72, dated the 1st January, 1966 the Central Government have appointed Shri B. S. Bhargava to officiate as Assistant Registrar of Companies, Delhi & Haryana with effect from the forenoon of 22nd November, 1972 until further orders.

No. PFR(85)-Admn.II/70.—On his transfer as Registrar of Companies. Hyderabad, Andhra Pradesh, Shri O. P. Jain, relinquished charge of the post of Assistant Inspecting Officer, Regional Director, Company Law Board, Kanpur on the forenoon of 21st November. 1972.

In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act. 1956 (I of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Company Affairs and Insurance) Notification G.S.R. 72, dated the 1st January, 1966 the Central Government have appointed Shri O. P. Jain to officiate as Registrar of Companies, Hyderabad, Andhra Pradesh on a purely temporary and ad-hoc basis with effect from the afternoon of 28th November, 1972 until further orders, vice Shri S. Narayanan transferred as Addl. Registrar of Companies, Bombay.

No. A-32014/2/72-Admn.I.—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the Assistant's Grade of the Central Secretariat Service, Cadre of the Ministry of Finance to officiate as Section Officers in the Department of Company Affairs for the period mentioned against their names:—

S.	Name of the Officer	Period for which appointed		
No.		From	То	
1. Sh.	S. K. Roy Chowdhury	1-12-72	31-12-72	
2. Sh. V. P. Nair		-de	o-	
3. Sh.	S. Banerj∞	1-12-72	30-12-72	

K. M. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (Department of Health)

New Delhl, the 8th December 1972

No. A. 12025(1)-137/71-CHS.I.—Consequent on his transfer from the Hospital for Mental Diseases, Shahdara, Dr. Vidya Bhushan, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service, assumed charge of the post of Psychiatrist, Central Government Health Scheme (Willingdon Hospital,

New Delhi), with effect from the forenoon of the 3rd October, 1972.

R. N. SINHA, Under Secv.

New Delhi, the 15th December 1972

No. A. 32013/2/72-Estt.(P).—The President is pleased to appoint Shri N. A. Subremoney, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service, to officiate as Grade I of the Service with effect from the forenoon of the 2nd November, 1972 until further orders.

The President is also pleased to appoint Shri N. A. Subremoney as Under Secretary in the Department of Heath from the same date.

The 19th December 1972

No. A. 22012/60/72-CHSI,—On his release from Army Medical Corps under the Compulsory Liability Scheme, Dr. R. K. Arya, an officer of General Duty Officer Grade I of the Central Health Service assumed charge of the post of Junior Emergency Medical Officer, Safdarjang Hospital, New Delhi, on the forenoon of the 1st November, 1972.

No. A. 12025(i)-56/72-CHSI.—The President is pleased to appoint Dr. Siri Chand Bhatia, an officer of the General Duty Officer Grade II of the Central Health Service, and holding the post of Junior Medical Officer, Willingdon Hospital, New Delhi, to the Specialists' Grade of the Central Health Service, on probation, and to post him as Plastic Surgeon, Safdarjang Hospital, New Delhi in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 11th November, 1972, until further orders.

Dr. Siri Chand Bhatia relinquished charge of the post of Junior Medical Officer, Willingdon Hospital and Nursing Home, New Delhi, on the forenoon of the 11th November, 1972

The 22nd December 1972

No. A. 12025(i)-37/71-CHS.I.—The President is pleased to appoint Dr. Chandra Pal Singh to the Specialists' Grade of the Central Health Service, on probation, and post him as Physician, Central Hospital, Manendragarh under the Coal Mines Labour Welfare Fund on a temporary basis with effect from the forenoon of the 25th August, 1972, until further orders

No. A. 12025(i)-137/70-CHS.I.—Consequent on her selection for a Short Service Commission in the Army Medical Corps, Dr. (Mrs.) Krishna Deswal relinquished charge of the post of Lecturer in Physiology, Maulana Azad Medical College, New Delhi, which she was holding on ad-hoc basis, on the afternoon of the 23rd August, 1972.

No. E_4 12(11)-9/69-CHS.I.—The President is pleased to permit Dr. B. L. Bhattacharjee, an Officer of Supertime Grade II of the Central Health Service and on deputation with the Government of Muscat, to retire from Government service with effect from the afternoon of the 5th February, 1972.

Dr. Bhattacharjee proceeded on 'refused leave' for 86 days with effect from the 6th February, 1972.

N. S. BHATIA, Under Secy.

New Delhi, the 18th December 1972

No. F. 2-61/71-F.—While proceeding on deputation to Australia on a Colombo Plan Fellowship, Dr. N. K. Menon relinquished charge of the post of Adviser in Tuberculosis in the Directorate General of Health Services on the afternoon of the 24th October 1972.

No. F. 4-11/71-F.—On return from abroad Shri A. C. JOHRI assumed charge of the post of Audio Visual Officer. All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, on the forenoon of the 25th September, 1972.

No. F. 7-13/69-F.—On return from training abroad, Dr. (Miss) SAROI GUPTA resumed charge of the post of Lecturer in Medicine at the Maulana Azad Medical College, New Delhi, on the forenoon of 5th October, 1971.

P. N. SADHOO, Under Secy.

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 16th December 1972

No. A. 32015/1/71-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri G. A. Achtani, a permanent Grade II Officer of Central Secretariat Stenographers Service, to officiate as Senior Personal Assistant in Grade 1 of the CSSS in the cadre of Health (Department of Health & Family Planning including the DGHS) in the Department of Family Planning for a period of 47 days with effect from 22nd May, 1972 to 7th July, 1972.

On reversion to the post of Stenographer Grade II in the Directorate General of Health Services, Shri G. A. Achtani relinquished charge of the post of Senior Personal Assistant in Grade I on the afternoon of the 7th July, 1972.

R. P. MARWAHA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

New Delhi, the 29th November 1972

No. 110(478)/EI/RE.I.—On his being superannuated from service, Shri R. C. Verma, a permanent Deputy Director (Movements) in this Department and who was on foreign service with the Food Corpn. of India, retired from service with effect from the afternoon of 13th September, 1972.

Consequent upon his re-employment in the Food Corporation of India with with effect from the forenoon of 14th September, 1972, Shri Verma will be allowed to avail of carned leave for 120 days refused to him in public interest from the date of termination of his re-employment.

The 30th November 1972

No. 22(177)/60/EI/RE.I.—On his being superannuated from service, Shri D. A. Uttam Singh, a permanent Deputy Director in this Department who was on foreign service with the Food Corporation of India, retired from service with effect from the afternoon of 30th December, 1971.

Consequent upon his re-employment in the Food Corporation of India with effect from the 31st December, 1971, Shri Uttam Singh will be allowed to avail of earned leave for 120 days refused to him in public interest from the date of termination of his re-employment.

SHIV RAM; Under Secy.

New Delhi-1, the 16th December 1972

No. A-12026/1/71-Sugar.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Sokhanda, an officer of the Section Officer's Grade of Central Secretariat Services Cadre of the Ministry of Agriculture (Department of Food), on deputation on ad hoc basis, to the post of Senior Administrative Officer at the National Sugar Instine, Kanpur, with effect from the afternoon of the 30th November, 1972, until further orders, vice Shri Mahendra Nath reverted to the Ministry of Shipping and Transport from the afternoon of the same date.

A. N. CHADDHA, Under Secy.

New Delhi, the 20th December 1972

No. A-19011/17-72-E1.—The President is pleased to appoint Shri Saiyed Mehdi Jafar as Food and Nutrition Extension Officer in the Department of Food in an officiating capacity with effect from the afternoon of the 21st November, 1972, until further orlers.

2. Shri Jafar assumed charge of the post of Food and Nutrition Extension Officer at the office of the Community Canning and Preservation Centre, Bhopal with effect from the same date.

No. A 19011/16/72-E1.—The President is pleased to appoint Shri R Krishna Rao as Assistant Technical Adviser in the Department of Food in an officiating capacity with effect from the forenon of the 7th December, 1972, until further orders.

2. Shri Rao assumed charge of the post of Assistant Technical Adviser at the office of the Joint Technical Adviser, Eastern Region, Calcutta, with effect from the same date.

U. V. V. L. NARASIMHAM, Under Secy.

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 21st November 1972

No. A.32014/1/72/(ii)-Estt.1.—In continuation of this Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) Notifications of even number dated 31-7-72, 21-8-72, 19-9-72 and 4-11-1972 the President is pleased to continue the appointments of the following permanent Assistants of the C.S.S. belonging to the cadre of the Department of Agriculture (Ministry of Agriculture) as officiating Section Officers, on short-term basis, in the Departments of Agriculture for the period mentioned against each:—

- Shri D. S. Agarwal—Deptt. of Agriculture—1-11-72 FN-30-11-72(A.N.)
- Shri G. S. Grover--Deptt, of Agriculture-1-11-72 FN-30-11-72 (A.N.)
- 3. Shri Dev Raj Sharma—Deptt. of Agriculture—1-11-72 FN--30-11-72(A.N.)
- 4. Shri D. P. Trivedi—Deptt. of Agriculture—1-11-72 FN—30-11-72(A.N.)

No. 32014/1/72-Estt.1.—In continuation of this Department's Notification of even number dated the 19th September, 1972 the President is pleased to continue the appointment of the following permanent Assistants of C.S.S. belonging to the cadre of the Department of Agriculture (Ministry of Agriculture) as officiating Section Officers, on short-term basis in the Department of Agriculture for the period from the 1st November, 1972 (F/N) to the 30th November, 1972 (A/N).

- 1. Shri J. P. Mehta, Dtc. of P.P.Q.&S., Faridabad.
- 2. G. K Kanauje, Dte. of P.P.Q.&S., Faridabad,
- 3. Shri I. N. Chahande, Dte. of M.&I., Nagpur.
- 4. Shri Kalyanasundaram, Dte. of M.&I., Faridabad.

The 4th December 1972

No. 27-876/71-E.V.—On his selection for appointment as Joint Director of Agriculture (Multiple Cropping) in the Directorate of Agriculture under the Government of Punjab, Shri N. R. Kaura, Specialist (Horticulture) relinquished charge of his duties in the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, on the afternoon of 31st October, 1972.

No. 12026(6)/72-Esti.1.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 26-6-72, the President is pleased to continue the appointment of Shri H. K. Sharma, Senior Technical Assistant (Movement) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) as Assistant Director (Movement Statistics) in the same Department on a purely temporary and ad-hoc basis for a further period upto December, 1972 or till such time the post is filled up on regular short-term basis, whichever is earlier.

The 5th December 1972

No. 12026/14/72-Estt.I.—Shri K. G. Mahindru, Assistant Commissioner (Animal Quarantine) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) relinquished charge of his post with effect from the forenoon of 27th November.

2. The President is pleased to appoint Shri K. G. Mahindru, Assistant Commissioner (Animal Quarantine) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) as Officer on Special Duty (Research) in the Cow Protection Committee, in the same Department with effect from the forenoon of 27th November, 1972 and upto 31st March, 1973, or till the completion of the work of the Committee, whichever is earlier, purely on a short-term basis.

S. N. SINHA, Under Secy.

New Delhi, the 15th December 1972

No. 19-1/72-EE.I.—The President is pleased to appoint Dr. W. G. Walunjkar substantively to the permanent post of Director, Directorate of Tobacco Development, Madras, with effect from the forenoon of the 1st March, 1970.

P. U. THOMAS, Under Secy.

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 15th December 1972

No. 15-45/69-FC-I.—Dr. R. Seetharaman, Zonal Coordinator at Central Rice Research Institute, Cuttack is appointed to the post of Assistant Botanist (Class II Gazetted) at the same Institute, in a substantive capacity, with effect from 25-6-72.

TEJA SINGH PRUTHI, Under Secy.

(Department of Culture)

New Delhi, the 14th December 1972

No. F.1-10/72-CAI(5).—On relinquishing charge of the post of Director, Salar Jung Museum, Hyderabad, on the forenoon of the 25th November 1972, Dr. Sachin Roy assumed charge of the post of Keeper in the National Museum, New Delhi, on the forenoon of the 1st December, 1972.

BALDEV MAHAJAN', Under Secy

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 18th December 1972

No. A-32014/3/72-Admn.—The President is pleased to appoint Shri O. P. Verma, permanent Assistant of the Central Secretariat Service (Cadre of the Ministry of Communications) to officiate in the Section Officers' grade of the Service for the period from 23-8-72 to 7-10-72.

2. Shri Verma was posted to the P&T Directorate.

M. L. KAKAR, Under Secy.

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi-110001, the 19th December 1972

No. 21-21/71-SPA-II.—The P. & T. Board is pleased to appoint Dr. S. K. Gautam, M.B.B.S., MD., Medical Officer in the P. & T. Dispensary, Jabalpur, with effect from the 1st August, 1972 (F.N.) on a purely temporary and ad-hoc basis until further orders.

No. 11/4/72-SPA-I.—The Posts and Telegraphs Board is pleased to appoint Shri D. V. Behere in Postmaster's Service Class-II in purely local arrangement in Maharashtra Circle for the period from 19-7-72 to 31-12-72 or till the actual date of termination of local arrangement, whichever is earlier.

No. 1/1/72-SPA-I.—The President is pleased to grant Shri S. K. Roy a permanent officer of the Junior Administrative Grade of T.E.S. Class-I and who was on deputation to Hindustan Cables I.td. Rupparainpur, for the purpose of the second proviso to F.R. 30(1) officiating proforma promotion to the Senior Administrative Grade of T.E.S. Class-I with effect from the 6-12-71 until further orders.

2. The President is pleased to decide that the appointment of Shri S. K. Roy in the Senior Administrative Grade of T.E.S Class-I will be treated on a long term basis, with effect from 23-12-71.

S. JAGANNADHAN, Asstt. Director Geni.
Posts and Telegraphs

New Delhi-110001, the 19th December 1972

No. 243/3/72-STA-II.—Shri A. G. Shaikh, Asstt. Engineer Gujarat Circle and a permanent officer of Telegraph Engineering Service Class II retired from service with effect from 13-9-72 (A.N.).

The 20th December 1972

No. 214/1/72-STA-II.—The President is pleased to appoint Shri A. Sengupta, an officer of the Senior Scale of T.E.S. Class I to officiate in the Junior Administrative grade of T.E.S. Class I with effect from 22-11-72 on a purely temporary and ad-hoc basis until further orders. He is posted as Director of Telegraphs Bhopal with effect from the same date.

S. C. SACHDEVA, Asstt. Director Genl. (SGT)

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi-110001, the 15th December 1972

No. A-31013/1/71-Adm.—The President is pleased to appoint Shri C. R. Sule, officiating Commissioner of Railway Safety, in a substantive capacity in the same post with effect from the 25th February, 1971.

T. ARUMUGHAM, Dy. Secv.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Transport Wing)

New Delhi-1, the 12th December 1972

No. E.-1(4)/72.—Shri Joginder Singh, an officer permanent in the Asisstant's grade of the CSS cadre of the Ministry of Shipping and Transport, relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing) with effect from the afternoon of the 2nd December, 1972 and reverted to his permanent post of Assistant in the Transport Wing of this Ministry with effect from the same date.

No. E-1(30)/72.—The President is pleased to appoint Shri N. Gopalakrishnan, IRAS, Under Sedretary, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) as Deputy Secretary in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) with effect from the forenoon of the 7th December. 1972, until further orders vice Shri Badal Roy, Deputy Secretary, granted leave for 40 days w.e.f. 7-12-1972 and there after proceeding on deputation to U.K. under the Colombo Plan.

The 15th December 1972

No. E-1(50)/72.—The President is pleased to appoint Shrl A. Ananthakrishnan, Technical P.A. to Development Adviser as Director (Designs) in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) with effect from the forenoon of the 14th December, 1972 on an ad-hoc basis for a period one year or until the recommendations of the Staff Inspection Unit for long term continuation of the post is received whichever is earlier.

M. K. RAMASWAMY, Under Secy

New Delhi, the 21st December 1972

No. 11-ML(56)/71.—Consequent upon appointment on deputation as Expert in Navigational Aids with Government of Singapore under the Colombo Plan, Shri B. S. Srivathsan handed over charge of the post of Engineer (Electrical) in the Department of Lighthouses and Lightships on the afternoon of the 27th June, 1972.

B. K. SAHI, Under Secy.

New Delhl, the December 1972

(MERCHANT SHIPPING)

No. 10-MA(10)/72.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Naphade, as Nautical Surveyor in the Mercantile Marine Department, Bombay, in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 29th August 1972 until further orders.

D. C. AHIR, Under Secy.

Directorate General of Shipping

Bombay, the 16th December 1972

(MERCHANT SHIPPING)

No. 2-SH(6)/72.—The Director General of Shipping hereby appoints Shri K. S. Narananswamy, Office Supdt., T. S. 'Rajendra', Bombay as Deck Passenger Welfare Officer Mercantile Marine Department, Bombay in a vacancy caused by the suspension of Shri M. Pushpanathan, regular Deck Passenger Welfare Officer, Bombay for a period of six months or till the case against Shri M. Pushpanathan is finalised whichever is earlier with effect from 1st December 1972 (forenoon) vice Shri M. Pushpanathar, placed under suspension.

G. S. BANERJEE, Dy. Director Genl, of Shipping for Director General of Shipping

MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

New Delhi, the 15th December 1972

No. ERB1/72/7/5.—Shri Pancham Lal officiating Joint Director, Establishment, reverted as Deputy Director, Railway Board, with effect from the afternoon of 27th November, 1972.

The 16th December 1972

No. ERB-1/72/10/8.—Shri R. L. Agarwal, officiating Section Officer, Railway Board, reverted as Assistant with effect from the afternoon of 30-8-1972.

The 19th December 1972

-No. E72PM5/6/RB2.—Shri M. U. Bijlani, Stenographer Gr. II was appointed to officiate as C.A. to Secretary w.e.f. the forenoon of 1-5-67.

H. F. PINTO, Secy., Railway Board & ex-officio Joint Secy.

New Delhi, the 20th December 1972

No. E720G4/6/RB3.—Shri D. B. Anand, permanent Grade II Stenographer of the Railway Board Scoretariat Stenographers' Service is appointed to officiate in Grade I of the Service with effect from 18th December, 1972.

No. E(GP)/71/6/17—The President is pleased to appoint permanently the following Temporary Assistant Signal & Telecommunication Engineers in Junior Scale of the Indian Railway Service of Signal Engineers with effect from the date and on the Railway noted against each:—

S. No.	Name	Railway	Date
	i S. Kalyanasundaram	Southern	12-10-72
	i R.C. Sood	Northern	12-10-72

No. E(O)III-72PM6/227.—Shri R. K. Dandekar officiating Chief Signal and Tele-communication Engineer is confirmed finally as Chief Signal and Tele-communication Engineer, Indian Railways, with effect from the 1st June, 1972.

The 21st December 1972

No. E(O)III-72PM6/195.—On transfer from Northeast Frontier Railway Dr. N. K. Sarkar, Divisional Medical Officer, is appointed to officiate as Medical Superintendent in the Junior Administrative Grade on the Eastern Railway with effect from the afternoon of 31-10-1972.

No. E(O)III-72PM6/166.—On transfer from Metropolitan Transport Project (R), Bombay, Shri B. C. Mathias, officiating Deputy Chief Operating Superintendent in Intermediate Administrative Grade is appointed to officiate as Chief Personnel Officer on Southern Railway with effect from 11-10-1972,

No. E(O)111-72PM6/214-1.—Shri E. Sreedharan, officiating Deputy Chief Engineer in the Junior Administrative Grade, Metropolitan Transport Project, (Railways) Calcutta is appointed to officiate as Engineer-in-chief in the Intermediate Administrative Grade on that Project with effect from 21st October, 1972.

No. E(O)III-72PM6/214-II.—Shri N. K. Chakravarti, Officiating Executive Engineer, Motropolitan Transport Project (Railways), Calcutta is appointed to officiate as Deputy Chief Engineer in the Junior Administrative Grade on that Project with effect from 21st October 1972.

No. E(O)III-72PM6/70.—On transfer from the Eastern Railway, Shri R. P. Sarkar, Deputy Controller of Stores, has been appointed to officiate as Superintendent Stores in the Intermediate Administrative Grade on the South Eastern Railway with effect from 20-9-1972.

H. F. PINTO, Secy, Rly, Board

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi-110001, the 16th December 1972

No. 47/72-F.5/20/71-Adm.V.—The President is pleased to appoint, on deputation, Shri K. C. Krishnamurthy, a permanent officer in the Grade of Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade) of the Central Power Engineering (Class I) Service, as Member-Secretary Northern Regional Electricity Board, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 25th November, 1972, until further orders.

MUKESH CHAND, Under Secy.

New Delhi, the 18th December 1972

No. 223/72-F.1/34/67-Adm.J.—The President is pleased to appoint Shri K. S. Seshadri, a permanent Accounts Officer of the Office of Controller General of Defence Accounts as Senior Accounts Officer in the Central Water and Power Commission (Power Wing), in any officiating capacity, with effect from the forenoon of the 3rd November, 1972, until further orders.

The 21st December 1972

No. 225/72-F.4/8/71-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Gupta an officer of the Haryana State Electricity. Board to the Central Power Engineering (Class I) Service in the grade of Assistant Director (Elec. & Mech.) in the Central Water and Power Commission (Power Wing) in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 3rd November, 1972 until further orders.

M. S. PATHAK, Under Secy.

New Delhi, the 19th December 1972

No. 72/72.F.2/3/72-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri M. L. Nanda, a permanent Section Officer of the Central Secretariat Service of the Cadre of Ministry of Irrigation and Power and officiating in Grade I of the same service, as Under Secretary in the Central Water nd Power Commission (WW) with effect from the afternoon of 3rd Novamber, 1972 until further orders

No. 73/72-F. 23/33/66-Adm.II.—The President is pleased to permit Dr. K. S. Rangappa. Editor, in the Ministry of Irrigation and Power, to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of the 2nd December, 1972.

A. K. SARKAR, Under Secv.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 11th December 1972

No. 38013/1/72-Admn.II.—The President is pleased to permit Shri J. M. Sharma, Section Officer, Press Information Bureau, of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Information and Broadcasting to retire from Government service with effect from the afternoon of 12th October, 1972, on attaining the age of superannuation.

B, K, SHARMA, Under Secv.

New Delhi-1, the 18th December 1972

No. 303(2)/72-B(D) — On attaining the age of superannuation, Shri P. B. Bhattacharya, Director, Frequency Assignments, All India Radio, New Delhi retired from service with effect from the after-noon of November 30, 1972.

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-1, the 13th December 1972

No. PF/339/CIS.—On his attaining the age of superannuation, Shri G. N. Mankad, a permanent Grade IV and officiating Grade II (ad hoc) Officer of the Central Information Service retired from the Government Service on the afternoon of 25th of November, 1972.

2. Shri Mankad relinquished charge of the post of ANE, NSD, AIR, New Delhi, on the same date.

No. PF/125/CIS.—Shri R. N. Chatterjee, a permanent Grade I Officer of the Central Information Service, who was working as Research Officer, PIB, New Delhi, expired on 26th November, 1972.

J. SANYAL, Under Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 30th November 1972

No. A. 22012/2/72-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Puri, a permanent officer of the Section Officer's Grade of the Central Secretariat Services to officiate in Grade I of the Central Sectt. Services with effect from the 15-9-72 to 14-12-72, or till a regular officer joins, whichever is earlier.

2. The President is also pleased to appoint Shri S. P. Puri as Deputy Controller of Administration in the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery for the above period.

The 4th December 1972

No. A. 22013/3/71-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri B. M. Lal, a permanent Grade I Officer of the C.S.S. to officiate in the Selection Grade of the Service for a period of three months with effect from the forenoon of the 30th October, 1972 or till a regular Officer joins, whichever is earlier.

2. The President is also pleased to appoint Shri B. M. Lal as Deputy Secretary in the Secretariat of the Ministry of Works and Housing for the aforesaid period.

The 8th December 1972

No. A-19011/1/72-Adm.I.—Shri A. N. Kidwai, I.C.S. assumed charge of the Office of Secretary to the Government of India, Ministry of Works and Housing (Nirman Aur Awas Mantralaya) in the forenoon of the 8th December, 1972.

The 16th December 1972

No. A-32015/3/72-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Khurana, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the C.S.S. to officiate in Grade I of the C.S.S. with effect from the 9th October 1972 until further orders.

2. The President is also pleased to appoint Shri M. S. Khurana as Deputy Controller of Administration in the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery with effect from the 9th October, 1972, until further orders.

V. R. IYER, Under Secy.

Works Division

New Delhi, the 15th December 1972.

No. 18/6/72-Admn.IV.—Shri H. Rahman, officiating Chief Architect is confirmed as Chief Architect in the Central P.W.D. with effect from 12-6-72,

P. B. KULKARNI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION >

(Department of Labour and Employment)

New Delhi-110001, the 18th December 1972

No. 4-32013/2/72-CLT.—The President is pleased to permit Shri Hari Singh, Deputy Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi to retire from Government Service with effect from the forenoon of the 7th November, 1972.

C. R. NAIR Under Secy.

(Directorate General of Employment & Training)

New Delhi, the 7th December 1972

No. DGE&T.5(70)/72-SA—The President is pleased to appoint on deputation basis, the undermentioned officers of the State Governments, as Assistant Director of Employment Exchanges, Area Skill Survey under Directorate General of Employment & Training, Department of Labour and Employment, Ministry of Labour and Rehabilitation, at the stations and with effect from the dates mentioned against each, until further orders:—

Sl. No.	Name of Officer and the post held under State Govt.		nted on de- on basis as	Date of appoint- ment
1.	Shri D.P. Vora, Sub-Regional Employment Officer, Govt. of Gujarat	Employn	Director nent Exchan- a Skill Sur- liad.	18-10-72 (F.N.)
2.	Shri S.N. Mohapatra, Employment Officer, State Employment Mar- ket Information Unit, Govt. of Orissa.	-do-	Cuttack -	18-10-72 (F.N.)
3.	Shri M. L. Deshmukh, Sub-Regional Employ- ment Officer, Govt. of Maharashtra.	-do-	Poona	18-10-72 (F.N.)
4.	Shri N. P. Pillai, Deputy Director, Govt. of Kerala	-do-	Cannanore	21-10-72 (F.N.)
5,	Shri R.P. Khurana, Divisional Employment Officer, Govt. of Madhya Pradesh.	-do-	Bilaspur	19-10-72 (F.N.)

G. JAGANNATHAN, Deputy Secy.

(Department of Rehabilitation)

New Delhi-11, the 29th September 1972

No. A-19011(9)/70-Adm.I.—The President is pleased to appoint Lt. Col. R. S. Ayer (IC-3855) as Special Officer (Relief) in a temporary capacity in the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour & Rehabilitation, with headquarters at Calcutta for a further period of two months with effect from the 1st November. 1972.

The 13th December 1972

No. A-32013(4)/71-Adm.1,—The President is pleased to appoint the following permanent officers of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Sorvice in the Department of Rehabilitation. Ministry of Labour & Rehabilitation to officiate in Grade I of the Service for the further periods indicated against each:—

Name	From	To
1. Shri B. M. Ghosh	1-11-72	31-12-72
2, Shri S. L. Mediratta	1-11-72	31-12-72
3. Shri B. C. Sahai	19-10-72	31 12.72

2. The President is also pleased to appoint the above officers as Under Secretary in the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour & Rehabilitation for the aforesaid period.

J. K. AHLUWALIA, Jt. Director